छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 711/एल–3–1/2012/ब–4/चार नया रायपुर, दिनांक 4/09/2014

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/वित्त/योजना, आर्थिक एवं सांख्यकीय/गृह/जेल/लोक निर्माण/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/आवास एवं पर्यावरण/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/नगरीय प्रशासन एवं विकास/महिला एवं बाल विकास/सामान्य प्रशासन/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/संस्कृति विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर.

विषयः–तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान हेतु राज्य उच्च अधिकार समिति की वर्ष 2014–15 की प्रथम बैठक दिनांक 23 अगस्त, 2014 का कार्यवृत्त ।

–––––0000–––––

विषयांतर्गत राज्य उच्च अधिकार समिति की वर्ष 2014–15 की प्रथम बैठक दिनांक 23 अगस्त, 2014 का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

2. तेरहवें वित्त आयोग के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देश, राशि की विमुक्ति एवं अन्य संबंधित जानकारी वित्त विभाग के वेबसाईट http://cgfinance.nic.in पर उपलब्ध है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
दूरभाष क्र. 0771–2510445
फैक्स न.– 0771–2221441
ई–मेल– plall76@gmail.com

पृ. क्रमांक 712/एल–3–1/2012/ब–4/चार नया रायपुर, दिनांक 4/09/2014

प्रतिलिपि–

1. संचालक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक नं. –11, 5 वीं मंजिल, सी.जी.ओ.कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003.
2. सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली.
3. सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली.
4. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली.
5. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
6. सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली.
7. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिलली.
8. अवर सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर .
9. श्री बघेल, प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर.

शोध अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन,वित्त विभाग

तेरहवें वित्त आयोग अनुशंसा अनुदान हेतु दिनांक 23/08/2014 को आयोजित राज्य उच्च अधिकार अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 23 अगस्त, 2014 को राज्य उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की वर्ष 2014–15 की प्रथम बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है ।

बैठक में एजेण्डा बिन्दुओं पर विभागवार विचारोपरांत समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गएः–

(1) **क्षमता निर्माण :–**

वर्ष 2014–15 की विभागीय कार्ययोजना **(परिशिष्ट–01)** का अनुमोदन किया गया । भारत सरकार से वर्ष 2014–15 में प्राप्त तृतीय किश्त की राशि ₹ 4.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को शीघ्र प्रेषित किया जावे, ताकि आगामी किश्त शीघ्र प्राप्त की जा सके ।

(कार्यवाहीः राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)

(2) **सांख्यिकी प्रणाली का उन्नयन योजना :–**

वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना **(परिशिष्ट–02)** का अनुमोदन किया गया । मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए कि वर्ष 2012–13 की राशि ₹ 3.60 करोड़ के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रेषित किया जावें ।

(कार्यवाही; योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)

(3) **कर्मचारी एवं पेंशन डेटाबेसः–**

वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 4.51 करोड़ की विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया **(परिशिष्ट–03)** ।

(कार्यवाहीः वित्त विभाग)

(4) **पंचायत निकायों को अनुदान :–**

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए कि अपर मुख्य सचिव वित्त के निर्देशन में स्वास्थ्य, पंचायत एंवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति तथा शालाओं के toilets को मिशन मोड में संचालित किए जानें हेतु 13 वां वित्त आयोग की राशि एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य के बजट में मूलभूत कार्यों के लिए उपलब्ध राशि के उपयोग की संभावना पर विचार किया जावे।

(कार्यवाहीः वित्त/स्वास्थ्य/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(5) **सड़क एवं पुलों का संधारण :–**

वर्ष 2014–15 की कार्ययोजना ₹ 113.28 करोड़ का अनुमोदन **(परिशिष्ट–04)** किया गया ।

(कार्यवाहीः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(6) **नगरीय निकायों को अनुदान :–**

समिति द्वारा वर्ष 2014–15 की विभागीय कार्ययोजना ₹ 132.57 करोड़ **(परिशिष्ट–05)** एवं वर्ष 2010–15 की संशोधित कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाहीः नगरीय प्रशासन विकास विभाग)

(7) <u>स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण</u> :–
वर्ष 2014–15 की विभागीय कार्ययोजना ₹ 17.27 करोड़ <u>(परिशिष्ट–06)</u> का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

(8) <u>नया रायपुर का विकास</u> :–
वर्ष 2014–15 की विभागीय कार्ययोजना ₹ 137.50 करोड़ <u>(परिशिष्ट–07)</u> का अनुमोदन किया गया । विभाग द्वारा प्रस्तुत Perspective Plan 2010-15 में आवश्यक संशोधन पर शर्त के साथ सहमति दी गई कि पुनरीक्षित कार्ययोजना पर संभावित व्यय 13वें वित्त आयोग की संपूर्ण अनुदान राशि ₹ 550 करोड़ तक सीमित रखा जावें एवं किसी भी स्थिति में राज्य पर वित्तीय भार न आए । विभाग वर्ष 2013–14 की प्राप्त ₹137.50 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रेषित करें, ताकि वर्ष 2014–15 में प्राप्त होने वाली ₹ 137.50 करोड़ शीघ्र प्राप्त हो सकें ।

(कार्यवाहीः आवास एवं पर्यावरण विभाग)

(9) <u>पुलिस प्रशिक्षण एवं पुलिस आवासीय गृहों का निर्माण</u> :–
समिति द्वारा वर्ष 2014–15 की विभागीय कार्ययोजना ₹73.00 करोड़ <u>(परिशिष्ट–08)</u> का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः गृह विभाग)

(10) <u>कारागार अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण</u> :–
वर्ष 2014–15 की विभागीय कार्ययोजना ₹ 37.50 करोड़ <u>(परिशिष्ट–9)</u> का अनुमोदन किया गया । वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की बचत राशि से वर्ष 2014–15 में किए जाने वाले कार्यों <u>(परिशिष्ट–10)</u> का अनुमोदन किया गया । मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए कि वर्ष 2011–12 में प्राप्त राशि ₹ 37.50 करोड़ ,वर्ष 2012–13 में प्राप्त राशि ₹22.76 करोड़ एवं वर्ष 2013–14 की प्राप्त राशि ₹37.50 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रेषित किया जाए, ताकि वर्ष 2014–15 में प्राप्त होने वाली राशि 37.50 करोड़ शीघ्र प्राप्त हो सकें ।

(कार्यवाहीः जेल विभाग)

(11) <u>पुरातत्व संरक्षण</u> :–
वर्ष 2014–15 की विभागीय कार्ययोजना ₹ 11.25 करोड़ <u>(परिशिष्ट–11)</u> का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः संस्कृति विभाग)

(12) <u>आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण</u> :–
वर्ष 2014–15 की विभागीय कार्ययोजना ₹ 37.50 करोड़ <u>(परिशिष्ट–12)</u> का अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः महिला एवं बाल विकास विभाग)

(13) <u>प्रशासन अकादमी का निर्माण</u> :–
वर्ष 2014–15 की विभागीय कार्ययोजना 7.00 करोड़ <u>(परिशिष्ट–13)</u> का अनुमोदन किया गया तथा वर्ष 2012–13 की कार्ययोजना में आंशिक संशोधन की सहमति दी गई। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए कि वर्ष 2012–13 में प्राप्त राशि ₹ 7.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाहीः सामान्य प्रशासन विभाग)

(14) <u>वन संरक्षण</u> :–

समिति के समक्ष वर्ष 2014–15 के लिए ₹102.00 करोड़ की विभागीय कार्ययोजना प्रस्तुत की गई । जिसे संशोधित कर एक सप्ताह में पुनः प्रस्तुत किए जानें के निर्देश विभागीय सचिव को दिए गए । विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 के अनुमोदित कार्ययोजना में स्थल परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को मान्य किया गया ।

(कार्यवाहीः वन विभाग)

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए कि वर्ष 2014–15 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही तत्काल पूर्ण कर ली जाए, ताकि भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने पर कार्य अविलंब प्रारम्भ किए जा सके । वित्तीय वर्ष 2014–15 13वें वित्त आयोग अनुदान अवधि का अंतिम वर्ष है , अतः विभागों द्वारा वर्ष 2014–15 तक प्राप्त होने वाली समस्त किश्तों को प्राप्त किए जानें हेतु तत्परता से कार्यवाही की जाए ।

(कार्यवाही समस्त संबंधित प्रशासकीय विभाग)

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

(मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

23/9/14
(सी.जे. खत्री)
संयुक्त सचिव

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण :–

1. श्री डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव, वित्त
2. श्री एन. के. असवाल, अपर मुख्य सचिव, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग
3. श्री ए. एन. उपाध्याय, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़
4. श्री गिरधारी नायक, पुलिस महानिदेशक, जेल
5. डॉ. आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
6. श्री आर. पी. मण्डल, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग
7. श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग
8. श्री आर. सी. सिन्हा, सचिव, संस्कृति विभाग
9. श्री सुब्रत साहू, सचिव, महिला एवं बाल विकास (लिंक अधिकारी)
10. श्री जी. एस. मिश्रा, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
11. श्री के. आर. पिस्दा, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
12. श्री पी. सी. मिश्र, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
13. श्री अशोक जुनेजा, सचिव, गृह विभाग
14. श्री पी. सी. पाण्डेय, सचिव, कृषि विभाग
15. श्री एम. डब्ल्यू अंसारी, संचालक लोक अभियोजन
12. श्री एस. के. जायसवाल, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
13. श्रीमती शहला निगार, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
14. श्री एस.एस. बजाज, आयुक्त सह संचालक, ग्राम एवं नगर निवेश
15. श्री बृजेश चन्द्र मिश्र, संचालक, पंचायत
16. श्री अमिताभ पांडा संचालक, आर्थिक सांख्यिकी एवं योजना
17. श्री डी. के प्रधान, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
18. श्री सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
19. श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
20. श्री सौरभ कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेवलपमेंट अॅथॉरिटी
21. श्री एस. के. बेहार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आवास एवं पर्यावरण विभाग

FORMAT-II

GRANT-IN-AID FOR CAPACITY BUILDING FOR DISASTER RESPOSNE

Annual Work plan for 2014-15: Finance & Physical

Name of the State : Chhattisgarh

Sl. No.	Item/area of activities	Amount (in Lakhs)	Physical achievement at the end of the year	Remarks
1	**Main Activity : Research & Development**	**75.00**		
	i) Consultancies ralated to Disaster Risk Reduction in the State.	25.00	The Project Will be Completed.	
	ii) Preparation of GIS maps	25.00	The Project Will be Completed.	
	iii) Consultancies for setting up of effective decision support system	25.00	The Project Will be Completed.	
2	**Main Activity : Equipped & Prepared/Strengthening of Disaster Response and Information Centres**	**55.00**		
	iii) Setting up of an effective communication system for the State	25.00	All tahsil level Disaster Response & Information Centres will be Operational.	
		30.00	All Districts Home Guard Disaster Response & Information Centres will be Operational.	
3	**Main Activity :** Search & Rescue Team Equipment & Vehicals	**100.00**	Formulation of the State Disaster Management Authority & D.G. Home Guard Chhattisgarh.	
4	**Main Activity : Awarness Generation** i) Sensitisation meetings/ IEC meterials/ audio-visual/advertisement etc.	**10.00**	i) 10 rounds of Advertisements on dos and donts on Floods in newspapers and TV throughout the Flood season. Ii) 10 rounds of Advertisements on Fire through print and audio visual media.	
5	**Main Activity :** Capacity Building, Training and Education including foregin training	**50.00**		
	i) School Safety : a) Preparation of School & College DM Plans, Mock drills once in a year b) Safety Audit of Sc	20.00	Traing of 5000 teachers on School Safety Development 1000 School safety plan developed @ 500 school x 18 districts	
	ii) Disaster Preparedness of Hospitals a) Preparation of Mass casualty Management Plans for the Medical College Hospitals b) Training of Doctors, Nurses, Paramedics, Med	10.00	Traing of 100 doctors trained on Hospital Preparedness & Mass Casualty Management. 50 doctors will be on Trauma Management and 100 Paramedics trained on Mass Casualty handling. Traing of Safety audit of all 18 district hospitals and 3 Medical College hospitals.	

	iii) Training on Earthquake Resistant Construction Techniques a) Training of Engineers/Architects on earthquake resistant tachniques	20.00	Traing of 200 government engineers and 100 Architect from Government & Private Sector will be trained on Earthquake resistant technology. 200 Masons will be trained on Earthquake resistant technology & safe Construction Practices.
	iv) Training on Urban and Rural Fire Safety Management a) Training of Fireman on Urban Fire b) Preparation of Demo kit for mason training by leading Bhilai Steel Plant Fire Service.	65.00	This State is planning to established a New Fire Service under the Director General of Home Guard. Prepartion of State Fire Service Plan and active District Fire Service Plan. 500 Home Guard Jawan will be trained on Fire Fighting and Fire Management. Training given by Bhilai Steel Plant Bhilai Fire Service. Mock drill and workshop organization of mock drill , workshop and establishment of **Simulator** building for fire.
6	**Main Activity : Preparation of Disaster Management Plan at District Level**	**20.00**	18 DDMP disaster management plan prepared and updated regularly.
	i) Preparation DDMPs		
7	**Main Activity : Community Based Disaster Preparedness**	**60.00**	
	a) Training of Volunteers by Homagard/police training institute at Chandkhuri raipur C.G.	50.00	450 Volunteers training on search and rescue and first aid
	b) Training of Volunteers on First Aid, Search & Rescue through Homegard	10.00	
8	**Main Activity : Workshops & Conferences**	**30.00**	1 Number of State lavel workshop will be conducted on the different Hazard.
	a) State Level workshop/conference on i) Flood & Fire	15.00	
	b) State Level Workshop/conference on i) Drough Management	15.00	
	Total	**400.00**	

DIRECTOREATE OF ECONMICS AND STATISTICS, CHHATTISGARH

REVISED ACTIVITY AND FINANCIAL PLAN FOR STRENGTHENING DISTRICT LEVEL STATISTICS: 2014-15

'000 Rs

Schemes	Revised ACTIVITY PLAN	Financial (BE	Financial (RE	Actual (6/8)
I. Business Register	1. Physical updation of listed enterprise			
	2. Development of database in electronic form for frame			
	3. Collection of micro level data on sampling basis	21400	33460	3700
II. Localbodies Accounts	1. Development of software for data entry, validation and tabulation			
	2. Collecting Data from remaining local bodies, tabulated.	21800	31960	2500
III. Collection of Farm Activity Data	1. Collection of peak rate prices of major crops			
	2. Conducting Cost of cultivation studies for important crops- IGKV has been			
	3. Collection of production and price data of major horticulture product	8016	18702	800
IV. NSS	1. Survey data of respective NSSO Rd to be tabulated.			
	2. Report for respective Rds to be prepared.			
	3. Respective data to be pooled with central data	4580	9880	443
V. NETWORKING	1. Building up Netwoark at district level			
	2. Development of applications suitable for transmission of district level data	2408	7941	500
VI. Training	1. Refresher course training of existing DES staff-			
	2. Refresher course training of existing Line department staff			
	3. Induction course training of for newly recruited staff of DES and line dept.			
	4. Organising training in reputed Institute- IIM, IIPS, NIRD, ISI etc.	14760	29760	1500
TOTAL		72964	131703	9443

Commissioner Cum Director
Directorate of Economics & statistic
Chhattisgarh, Raipur

परिशिष्ट – 03

कंडिका 01. वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2014-2015 की प्रस्तुति या कार्ययोजना में संशोधन किया जाना हो:-

वर्ष 2014-2015 के कार्ययोजना के लिये अनुमानित व्यय एवं कार्य निम्नानुसार है :-

राशि लाख रूपये में

क्र.	विवरण	राशि
01.	निर्माण कार्य	156.00
02.	हार्डवेयर	133.46
03.	मैनपॉवर	55.44
04.	स्टेशनरी	30.00
05.	स्केनिग	20.00
06.	लेखा प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन	45.00
07.	साफ्टवेयर	11.50
	योग	451.40

01. **निर्माण कार्य** :- वर्ष 2013-2014 में स्वीकृति कार्ययोजना अनुसार संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर एवं अंबिकापुर में नियत्रंण कक्ष निर्माण के लिये राशि रूपये 8.00 लाख प्रति कार्यालय के मान से राशि रूपये 16.00 लाख एवं समस्त कोषालयों में सर्वर कक्ष के उन्नयन के लिये राशि रूपये 140.00 लाख की कार्ययोजना परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है, उपरोक्त समस्त कार्यालयों से निर्माण कार्य के लिये प्राकल्लन प्राप्त किया जा चुका है।

02. **मशीन एवं उपकरण** :- अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सर्वर, कम्प्यूटर, लाईन प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, इत्यादि क्रय के लिये राशि रूपये 133.46 लाख की कार्ययोजना परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

03. **मानव संसाधन** :- पेंशनर डाटा बेस तथा कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार करने हेतु 06 प्रोग्रामर, 02 सहायक प्रोग्रामर तथा 64 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बाह्य ऐजेंसी से नियुक्त हेतु अनुमति संबंधी प्रस्ताव पर कार्यवाही वित्त विभाग से अपेक्षित है। इस पर वर्ष 2014-2015 में राशि रूपये 98.88 लाख अनुमानित व्यय परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

13fc2014-15/Chandan

04. **स्टेशनरी एवं अन्य :-** पेंशनरों के फोटो युक्त पहचान पत्र कार्य हेतु राशि रूपये 30.00 लाख एवं जी.पी.ओ. एवं पी.पी.ओ. के स्केनिंग पर राशि रूपये 20.00 लाख की कार्ययोजना सम्मिलित है।

05. **लेखा प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन :-** लेखा संबंधी तथा अन्य कार्यों में कम्प्यूटर तथा अन्य तकनीक के प्रयोग संबंधी क्षमता विकास तथा नवीन परिदृश्य में कार्य करने की योग्यता विकसित करने संबंधी प्रशिक्षण कर्मचारियों को प्रदाय करने के लिये राज्य की 02 लेखा प्रशिक्षण शालाओं में उन्नयन किया जाना है। प्रथम लेखा प्रशिक्षण शाला रायपुर में तकनीकी उन्नयन तथा बिलासपुर में निर्माण कार्य एवं तकनीकी उन्नयन संबंधी कार्ययोजना तैयार की गई जिसमें तकनीकी के लिये 20.00 लाख एवं निर्माण कार्य के लिये 25.00 लाख कुल 45.00 लाख की कार्ययोजना तैयार की गई है। इस संबंध में प्राकल्लन प्राप्त किया जा चुका है।

06. **साफ्टवेयर :-** इसके लिये एनआईसी से चर्चा किया जा चुका है इस व्यय 11.50 लाख संभावित है।

कंडिका 02. गत बैठक में लिए गए निर्णय का पालन प्रतिवेदन

राज्य उच्च अधिकार अनुश्रवण समिति की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार एवं स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है, कर्मचारियों के डाटा बेस पूर्णतः तैयार किया जा चुका है एवं कार्ययोजना अनुसार साफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था की गई है, पेंशन डाटा बेस साफ्टवेयर प्रकियाधीन है, साफ्टवेयर निर्माण के लिये एनआईसी को राशि भुगतान किया जाना है स्वीकृति शासन से अपेक्षित है।

संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर एवं अंबिकापुर में नियंत्रण कक्ष तथा समस्त कोषालय के सर्वर कक्ष निर्माण के प्राकल्लन प्राप्त किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में तकनीकी सुविधा के लिये क्रय किये गये मशीन उपकरण राशि रूपये 126.00 लाख का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013-2014 में किया गया है तथा शासन की स्वीकृति पश्चात् 07 जिला कोषालय लीज लाईन सुविधा एवं 10 उपकोषालयों में बीएसएनएल व्हीसेट की सुविधा के लिये कार्य प्रगति पर है जो कि माह के अंत तक पूर्ण हो जावेगा।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में किये गये व्यय एवं पूर्व वर्षों में किये गये व्यय के उपयोगिता प्रमाण संलग्न है।

03. **वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में प्राप्त अनुदान के विरूद्ध भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा :-** निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर संलग्न प्रस्तुत है।

अपर संचालक
कोष, लेखा एवं पेंशन

परिशिष्ट "अ"

नियंत्रण कक्ष एवं डाटा सेंटर निर्माण कार्य

S.No.	Office	Cost in lakh
1	2	3
1	J D Ambikapur	8
2	J D Raipur	8
3	District Treasury Koria	5
4	District Treasury Surguja	5
5	District Treasury Jashpur	5
6	District Treasury Raigarh	5
7	District Treasury Korba	5
8	District Treasury Janjgir-Champa	5
9	District Treasury Bilaspur	5
10	District Treasury Kawardha	5
11	District Treasury Rajnandgaon	5
12	District Treasury Durg	5
13	District Treasury Raipur	5
14	District Treasury Mahasamund	5
15	District Treasury Dhamtari	5
16	District Treasury Kanker	5
17	District Treasury Baster	5
18	District Treasury Dantewada	5
19	District Treasury Narainpur	5
20	District Treasury Bijapur	5
21	District Treasury Baloda Bazar	5
22	District Treasury Gariyaband	5
23	District Treasury Mungeli	5
24	District Treasury Balod	5
25	District Treasury Bemetara	5
26	District Treasury Kondagaon	5
27	District Treasury Sukma	5
28	District Treasury Balrampur	5
29	District Treasury Surajpur	5
30	City Treasury Raipur	5
	TOTAL	156

परिशिष्ट "ब"

नियंत्रण कक्ष एवं डाटा सेंटर के लिये

बायबेक के अंतर्गत सर्वर, कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं यूपीएस का प्रतिस्थापन

क्र.	विवरण	स्वी. संख्या	दर प्रति नग	अनुमानित व्यय राशि
1	2	3		4
1	Clinte Server Treasury & sub treasury	35	75000	2625000
2	Computer system intel i-5 Microsoft window 7	94	39000	3666000
3	Dot Matrix Printer (24 Pin 80 Colum) @10280	30	12000	360000
4	Laser Printer Mono 600X600 @5242.85 Hp	20	10000	200000
5	Line Printer	15	150000	2250000
6	Scanner A4	27	5000	135000
7	UPS 2 kva	30	65000	1950000
8	UPS 5 kva	18	120000	2160000
	Total			**133,46,000**

परिशिष्ट "स"

नियंत्रण कक्ष एवं डाटा सेंटर के लिये तकनीकी मानव संसाधन

S. No.	Office	Programmer	Asstt. Pro.	DEO
1	2	3	4	5
1	DTAP	2	2	
2	JD Raipur	1		2
3	JD Bilaspur	1		2
4	JD Jagdalpur	1		2
5	JD Ambikapur	1		2
6	District Treasury Koria			1
7	District Treasury Surguja			1
8	District Treasury Jashpur			1
9	District Treasury Raigarh			1
10	District Treasury Korba			1
11	District Treasury Janjgir-Champa			1
12	District Treasury Bilaspur			
13	District Treasury Kawardha			1
14	District Treasury Rajnandgaon			1
15	District Treasury Durg			
16	District Treasury Raipur			
17	District Treasury Mahasamund			1
18	District Treasury Dhamtari			1
19	District Treasury Kanker			1
20	District Treasury Baster			1
21	District Treasury Dantewada			1
22	District Treasury Narainpur			1
23	District Treasury Bijapur			1
24	District Treasury Baloda Bazar			1
25	District Treasury Gariyaband			1
26	District Treasury Mungeli			1
27	District Treasury Balod			1
28	District Treasury Bemetara			1
29	District Treasury Kondagaon			1
30	District Treasury Sukma			1
31	District Treasury Balrampur			1
32	District Treasury Surajpur			
33	City Treasury Raipur			
34	DRC Bilaspur			
	TOTAL	6	2	31

S. No.	Office	Numbers			Salary/month			Salary for 12 Month (in Rs)
		Prog.	Asst.Pro.	DEO	Prog.	Asst.Pro.	DEO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DTAP	2	2		25000	17000		1008000
2	J D Office	4		8				1776000
3	District Treasury			23			10000	2760000
		6	2	31				55,44,000

परिशिष्ट - 04

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये 13वें वित्त आयोग अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों के संधारण की कार्य योजना

(लंबाई कि.मी. में, राशि रू. लाख में)

स.क्र.	जिले का नाम	बजट हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना			रिमार्क
		सड़कों की संख्या	लंबाई	संधारण हेतु अनुमानित राशि	
1	2	3	4	5	6
1	धमतरी	15	39.87	637.92	
2	दुर्ग	4	32.49	519.84	
3	बेमेतरा	12	49.26	788.16	
4	जशपुर	13	51.25	820.00	
5	कांकेर	22	26.19	1233.76	
6	कवर्धा	11	39.60	633.60	
7	कोरबा	19	87.76	1404.08	
8	कोरिया	9	42.38	678.08	
9	महासमुन्द	32	151.45	2423.20	
10	गरियाबंद	3	28.88	462.08	
11	राजनांदगांव	19	91.95	1471.20	
12	सूरजपुर	4	16.00	256.00	
योग		**163**	**657.08**	**11327.92**	

परिशिष्ट-05

13 वॉ वित्त आयोग के अनुशंसा पर नगरीय निकायों को अनुदान के अंतरण की कार्ययोजना 2010–15 में संशोधन तथा वर्ष 2014–15 की कार्ययोजना

विगत दो दशकों में भारत की तेजी से बढ़ती अर्थ व्यवस्था का प्रभाव शहरों पर भी पड़ा है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए मूलभूत सेवाओं की दक्षता को बढ़ाने का निर्देश है।

छत्तीसगढ़ राज्य को 13 वें वित्त आयोग से वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि में अनुलग्नक "क" के अनुसार कुल रूपये 453.02 करोड़ प्राप्त होना है। राज्य को वर्षवार प्राप्त होने वाली राशि का प्रपत्र अनुलग्नक "क" में अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः अनुलग्नक ''क'' में संलग्न तालिका अनुसार पंचम वर्ष 2014–15 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को कुल रू. 132.57 करोड़ प्राप्त करने की पात्रता है।

गत वर्षों में वर्ष 2010–15 तक की अवधि के लिए विभाग से तैयार की गई कार्य योजना में प्रदेश के नगर निगमों के साथ जिला मुख्यालय में स्थित 29 नगरीय निकायों (10 नगर पालिक निगम, 13 नगर पालिका परिषद् तथा 06 नगर पंचायतों) को मॉडल टाऊन के रूप में विकसित किये जाने की कल्पना की गई थी। नगरीय निकायों की आवश्यकताओं में परिवर्तन होने के कारण तथा नगर निगमों में सम्पत्ति कर के सर्वेक्षण जी.आई.एस. पद्धति से कराने तथा 169 निकायों में डबल एण्ट्री सिस्टम लागू करने हेतु आवश्यक प्रावधान किया जाकर संशोधित कार्य योजना तैय्यार की जाकर प्रशासकीय विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इसमें वित्त आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित घटक सम्मिलित है।

1. सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट
2. स्ट्रार्म वाटर ड्रेन
3. जल प्रदाय
4. सेनीटेशन एवं सीवरेज
5. डाटा सेंटर की स्थापना
   - (i) डाटा बेस
   - (ii) जी.आई.एस. सिस्टम
   - (iii) डबल एण्ट्री एकाउंटिंग सिस्टम

इस प्रकार वर्ष 2014–15 में भी 13 वें वित्त से प्राप्त राशि का उपयोग उक्त सेक्टरों के सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाना प्रस्तावित है ।

1. सालिड वेस्ट मेनेजमेन्ट :–

13 वें वित्त आयोग से वर्ष 2010–11 से प्राप्त राशि से प्रदेश की विभिन्न निकायों में आवश्यक संसाधन जुटाने हेतु वितरित किया है, इसमें निकायों द्वारा डोर टू डोर कचरे का संग्रहण करने का कार्य का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। छटाई तथा आगे उपचार की कार्यवाही अभी भी समुचित रूप से नहीं हो पा रही है। प्रथम चरण में 10 नगर निगमों सहित जिला मुख्यालयों में स्थित नगर पालिका/नगर पंचायतों में कुल 19 निकायों में डोर टू डोर शत प्रतिशत कचरा एकत्रीकरण करते हुये ट्रेचिंग ग्राउन्ड में कचरा संग्रहण, सेग्रीगेशन एवं कचरो का विनिष्टीकरण रिसाइक्लिंग का कार्य प्रारंभ कराया जा सकेगा। प्रदेश के अन्य 19 नगर पालिका में तथा शेष 121 नगर पंचायतों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिये संसाधन जुटाने हेतु भी राशि प्रदान की गई है। इस मद में वर्ष 2010–15 के लिये 13 वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि में से रू. 160.80 करोड़ व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2014–15 में इसके लिये रू. 48.20 करोड़ का व्यय अनुमानित है ।

2. स्टार्म वाटर ड्रेन :–

प्रदेश की नगरीय निकायों के क्षेत्रों में नालों का समूचित विकास/व्यवस्था न होने तथा एकीकृत सीवरेज सिस्टम का अभाव होने के कारण सेप्टिक टैंक वेस्टवाटर तथा अन्य दूषित जल इन्ही कच्चे नालों में प्रवाहित होता है, परिणाम स्वरूप दूषित जल अनेक प्रकार की समस्याओं को पैदा करता है। वातावरण के प्रदूषण के अलावा इससे होने वाली संक्रामक बीमारियॉ भूमिगत जल प्रदूषित होने की आशंका तथा पेयजल की पाईप लाइन में गंदे पानी की मिलावट होने की शिकायतें मिलती रहती है। वर्षा ऋतु में तो कच्चे नालों से निकासी के अभाव से अनेक स्थानों में बाढ़ जैसी स्थिति कुछ समय के लिये उत्पन्न होती है, तथा परिणाम में जल जनित बीमारियां भी इससे फैलती है, अतिक्रमण व अव्यवस्थित नालों की ग्रहण क्षमता एवं बहाव भी समय के साथ प्रभावित हुई है, अतः 13 वें वित्त आयोग से विगत वर्षों में प्राप्त राशि से प्रदेश के 10 नगर निगमों तथा जिला मुख्यालयों वाले नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतो में स्थित नालों के विकास का कार्य जारी है तथा प्राप्त राशि आबंटित की जा चुकी है। वर्ष 2014–15 में इस कार्य पर रू. 22.61 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

3. जल प्रदाय :–

छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त नगरीय निकायों में एकीकृत जल प्रदाय परियोजना लागू नहीं हैं। अनेक नगरीय निकायों में अभी भी भूमिगत जल का दोहन नागरिकों को पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। जिन निकायों में एकीकृत जल प्रदाय योजना से जल आपूर्ति हो रही है, वे भी पूर्ण क्षमता से चलने के उपरांत भी वर्तमान जनसंख्या को पेयजल आपूर्ति में अपर्याप्त हो गये हैं। 13 वें वित्त आयोग से प्राप्त आर्थिक सहायता से प्रदेश की निकायों में इस व्यवस्था

उपयुक्त सुदृढीकरण का कार्य जारी है, जिससे उचित गुणवत्ता का पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता, का प्रयास किया जा रहा है। जल प्रदाय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिये वर्ष 2013–14 में प्राप्त राशि 8 नगर निगमों, 11 नगर पालिकाओं एवं 6 नगर पंचायतों को वितरित की जा चुकी है। वर्ष 2014–15 में नगरीय निकायों में जल प्रदाय हेतु रू. 39.13 करोड़ मात्र का व्यय अनुमानित है।

4. सेनीटेशन एवं सीवरेज :–

प्रदेश के किसी भी नगरीय निकाय के सम्पूर्ण क्षेत्र में एकीकृत सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था नही है। अतः राज्य में 13वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से नगर निगमों, जिला मुख्यालय में स्थित नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय/ मूत्रालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कतिपय नगरीय निकायों में क्षेत्र विशेष में बने सीवरेज सिस्टम के उन्नयीकरण एवं अल्टीमेट डिस्पोजल तक वेस्ट का ट्रीटमेन्ट करने का कार्य जारी है जिसे इस वर्ष में भी कराया जाना है। इस मद में वर्ष 2010–15 में, 13वें वित्त आयोग रू. 30.03 करोड़ का व्यय किया जाना है। वर्ष 2014–15 में रू. 6.65 करोड़ मात्र का प्रावधान रखा गया है ।

5. डाटा सेंटर की स्थापना, जी.आई.एस. आधारित सम्पत्तियों का सर्वे एवं द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली :–

13 वें वित्त आयोग से आगामी 5 वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि में से जिला मुख्यालय में स्थित नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायत में एवं प्रदेश के 10 नगर निगमों में डाटा सेंटर की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। डाटा सेंटर की स्थापना हो जाने से निकाय के अनेक कार्य यथा संपत्ति कर निर्धारण, भवन अनुज्ञा के प्रकरणों के निष्पादन के साथ–साथ समस्त करों, राजस्व मामले जैसे भवन/भूमि/दुकान के लीज पर आबंटित आदि के साथ भवन अनुज्ञा तथा अन्य दैनंदिनी कार्य, ई–टेंडरिंग, चॉयस सेन्टर का कंट्रोल, नगरीय निकाय की वेबसाइट बनाना तथा अपडेट करना व समय–समय पर अन्य उपयुक्त कार्यों को प्रभावी नियंत्रण से साथ तत्परता से संपादित किया जा सकेगा। नगर निगमों में सम्पत्ति कर के सर्वेक्षण जी.आई.एस. पद्धति से कराने तथा 169 निकायों में डबल एण्ट्री सिस्टम लागू करने हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। इस कार्य हेतु वर्ष 2010–15 में कुल 13 वें वित्त से प्राप्त राशि में से कुल रू. 23.66 करोड़ का व्यय होगा। वर्ष 2014–15 में इस हेतु रू. 15.98 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

संशोधित कार्ययोजना वर्ष 2010–2015

विभाग द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से 10 नगर निगमों में संपत्ति के सर्वेक्षण हेतु जी.आई.एस. पद्धति से सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है तथा द्वि–प्रविष्टी लेखा प्रणाली का क्रियान्वयन भी समस्त 131 नगरीय निकायों में जारी है तथा शेष निकायों में कराया जाना है। उक्त दोनों कार्यों पर होने वाले वित्तीय दायित्व की पूर्ति एवं वित्त आयोग से करने हेतु क्रमशः रू. 10.00 करोड़ एवं रू. 5.00 करोड़ का प्रावधान संशोधित कार्य योजना में किया गया है। उक्त राशि सूडा को अंतरित भी किया जाना होगा।

संशोधित कार्ययोजना में वर्ष 2010–2015 तक के विभिन्न घटकों का प्रतिशतवार प्रावधान निम्न तालिका में प्रस्तुत है –

क्र.	कार्यों का विवरण	अनुमोदित योजना		संशोधित योजना	
		व्यय का प्रतिशत	राशि (करोड़ में)	व्यय का प्रतिशत	राशि (करोड़ में)
1	सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट	37.54%	170.06	35.50%	160.80
2	स्ट्रार्म वाटर ड्रेन	26.24%	118.88	25.33%	114.77
3	जल प्रदोय	27%	122.31	27.32%	123.76
4	सेनीटेशन एवं सीवरेज	7.34%	33.27	6.63%	30.03
5	डाटा सेंटर, डबल एण्ट्र सिस्टम तथा जी.आई.एस. आधारित सम्पत्ति कर योजना	1.88%	8.50	5.22%	23.66
योग :–		**100%**	**453.02**	**100%**	**453.02**

अतः वर्ष 2010 से 2015 तक की अवधि की संशोधित कार्य योजना के साथ संलग्न प्रपत्र "क", "ख" एवं "ग" का अवलोकन करते हुये वर्ष 2014–15 के लिये संशोधित कार्ययोजना तथा प्रपत्र "घ" में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

07/08/14

संचालक

7/8 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

13 वें वित्त आयोग के अनुशंसा अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के लिये कुल अनुदान

प्रपत्र – "क"

राशि रू. 453.02 करोड़ का वर्ष वार विवरण

(राशि करोड़ में)

क.	वर्षवार	सामान्य (बुनियादी) मूल अनुदान (अनुबंध 10.15क) (पैरा 10.159)	सामान्य निष्पादन अनुदान (अनुबंध 10.15ख) (पैरा 10.159)	योग	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान (अनुबंध 10.15ग) (पैरा 10.159)	विशेष क्षेत्र (बुनियादी) निष्पादन अनुदान (अनुबंध 10.15घ) (पैरा 10.159)	योग	कुल अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2010–11	38.8446	–	38.841	4.216	–	4.216	43.05712
2	2011–12	45.0389	15.407	60.446	4.216	2.098	6.314	66.7599
3	2012–13	52.652	36.127	88.779	4.216	4.216	8.432	97.211
4	2013–14	62.383	42.621	105	4.216	4.216	8.432	113.436
5	2014–15	73.8525	50.274	124.13	4.216	4.216	8.432	132.5585
कुल		**272.771**	**144.429**	**417.2**	**21.08**	**14.746**	**35.83**	**453.02**

प्रपत्र – ख

13 वें वित्त आयोग अंतर्गत प्रस्तावित कार्य एवं आबंटन

(वर्ष 2010–15)

(राशि करोड़ में)

S.No.	Work	Nagar Nigam	Nagar Palika	Nagar Panchayat	Total
1	Solid Waste Management	90.29	30.54	39.97	**160.80**
2	Storm Water Drain	79.71	26.01	9.05	**114.77**
3	Water Supply	47.84	28.06	47.86	**123.76**
4	Sanitation and Other	24.63	2.81	2.59	**30.03**
5	Data Base, GIS survey & Double entry system	16.75	4.27	2.64	**23.66**
		259.22	**91.69**	**102.11**	**453.02**

Note :–SWM-35.50%, SWD-25.33%,W/S-27.32%,Sanitation-6.63%, Data Base, GIS survey & Double entry system -5.22%

प्रपत्र – ग

13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु वर्षवार मांग

(राशि करोड़ रू. में)

S.No	Name of Project	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	Total
1	**Solid Waste Management**	12.98	17.63	36.90	45.09	48.20	**160.80**
2	**Storm Water Drain**	11.54	23.72	27.71	29.19	22.61	**114.77**
3	**Water Supply**	11.26	19.81	24.14	29.42	39.13	**123.76**
4	**Sanitation and Other**	2.97	3.75	7.63	9.03	6.65	**30.03**
5	**Data Base**	4.30	1.85	0.83	0.70	15.98	**23.66**
		43.05	**66.76**	**97.21**	**113.43**	**132.57**	**453.02**

07/08/14

संचालक

संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर

प्रपत्र – घ

13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रावधानित राशि अनुसार वित्त वर्ष 2014–15 के लिये अनुमोदित कार्यों हेतु मांग

(राशि करोड़ रू. मे)

S.No	Name of Project	Nagar Nigam	Nagar Palika	Nagar Panchayat	Total
1	Solid Waste Management	31.74	15.38	1.08	**48.20**
2	Storm Water Drain	13.53	7.21	1.87	**22.61**
3	Water Supply	11.94	1.62	25.57	**39.13**
4	Sanitation and Other	5.65	1.07	0.12	**6.65**
5	Data Base/Data Center	13.00	1.54	1.44	**15.98**
		75.86	**26.82**	**29.89**	**132.57**

07/08/14

संचालक

संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास

छत्तीसगढ़ रायपुर

परिशिष्ट - 06

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

13वे वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2014–15 में प्रस्तावित निर्माण कार्यो की जानकारी

क्र.	कार्य का विवरण	प्रावधानित राशि	प्रस्तावित राशि	रिमार्क
1	13वे वित्त आयोग अंतर्गत 05 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु।	250.00 लाख	250.00 लाख	
2	13वे वित्त आयोग अंतर्गत 02 शहरी सिविल डिस्पेंसरी भवन के निर्माण हेतु	41.82 लाख	42.00 लाख	
3	13वे वित्त आयोग अंतर्गत 33 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु	759.00 लाख	940.50 लाख	
4	13वे वित्त आयोग अंतर्गत 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु	200.00 लाख	247.84 लाख	
5	13वे वित्त आयोग अंतर्गत 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु	160.00 लाख	194.76 लाख	
कुल		1410.82 लाख	1675.10 लाख	

राज्य कार्यक्रम अधिकारी (भ/वि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाायें
नया रयपुर छ.ग.

नस्ती क्र./0721					

विषय– वर्ष 2014–15 के बजट में सम्मिलित 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत 05 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2014–15 के बजट में 05 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण हेतु रू. 250.00 लाख प्रावधान किया गया है। अतः भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

क्र.	मांग संख्या	शहरी प्राथ.स्वा.केन्द्र का नाम	यूनिट लागत	कुल लागत
1	सामान्य क्षेत्र	रायपुर	50.00 लाख	50.00 लाख
2	सामान्य क्षेत्र	बिलासपुर	50.00 लाख	50.00 लाख
3	सामान्य क्षेत्र	धमतरी	50.00 लाख	50.00 लाख
4	सामान्य क्षेत्र	राजनांदगांव	50.00 लाख	50.00 लाख
5	सामान्य क्षेत्र	जगदलपुर	50.00 लाख	50.00 लाख
	कुल	05		250.00 लाख

अतः वर्ष 2014–15 के बजट में प्रावधानित 05 शहरी प्राथमिक स्वा.केन्द्रों के भवन निर्माण का प्रस्ताव है। शहरी प्राथमिक स्वा.केन्द्रों भवन निर्माण हेतु छ.ग.मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन से रू. 50.00 लाख का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्राक्कलन अनुसार कुल 05 शहरी प्राथमिक स्वा.केन्द्रों के भवन निर्माण पर रू. 50.00 लाख के मान से कुल रू. 250.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संचालक (स्वास्थ्य सेवायें)

आयुक्त, स्वास्थ्य

प्रमुख सचिव, (स्वास्थ्य)

नस्ती क्र./0721 | क्र. 144 | दि. 25/3/14

विषय– वर्ष 2014–15 के बजट में सम्मिलित 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत 02 शहरी सिविल डिस्पेंसरी भवनों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2014–15 के बजट में 02 शहरी सिविल डिस्पेंसरी भवनों के निर्माण हेतु रू. 41.82 लाख का प्रावधान किया गया है। अतः भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

क्र.	मांग संख्या	शहरी सिविल डिस्पेंसरी का नाम	यूनिट लागत	कुल लागत
1	सामान्य क्षेत्र	रायपुर	21.00 लाख	21.00 लाख
2	सामान्य क्षेत्र	जांजगीर	21.00 लाख	21.00 लाख
	कुल	02		**42.00लाख**

अतः वर्ष 2014–15 के बजट में प्रावधानित 02 शहरी सिविल डिस्पेंसरी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है। 02 शहरी सिविल डिस्पेंसरी भवन निर्माण हेतु छ.ग.मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन से रू. 21.00 लाख का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्राक्कलन अनुसार कुल 02 शहरी सिविल डिस्पेंसरी भवन निर्माण पर रू. 21.00 लाख के मान से कुल रू. 42.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संचालक (स्वास्थ्य सेवायें)

आयुक्त, स्वास्थ्य

प्रमुख सचिव, (स्वास्थ्य)

नस्ती क्र./0721 | क्र. 144 | दि. 20/3/14

विषय– वर्ष 2014–15 के बजट में सम्मिलित 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत 33 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2014–15 के बजट में 33 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण हेतु रू.759.00 लाख प्रावधान किया गया है। अतः भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

क्र.	मांग संख्या	उप.स्वा.केन्द्र की संख्या	यूनिट लागत	कुल लागत
1	सामान्य क्षेत्र	15	28.50 लाख	427.50 लाख
2	आदिवासी क्षेत्र	10	28.50 लाख	285.00 लाख
3	विशेष घटक क्षेत्र	08	28.50 लाख	228.00 लाख
	कुल	33		940.50 लाख

अतः वर्ष 2014–15 के बजट में प्रावधानित 33 उप स्वा.केन्द्रों के भवन निर्माण का प्रस्ताव है। उप स्वा.केन्द्र भवन निर्माण हेतु छ.ग.मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन से रू. 28.50 लाख का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्राक्कलन अनुसार कुल 33 उप स्वा.केन्द्रों के भवन निर्माण पर रू. 28.50 लाख के मान से कुल रू. 940.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संचालक (स्वास्थ्य सेवायें)

आयुक्त, स्वास्थ्य

प्रमुख सचिव, (स्वास्थ्य)

13वे वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2014–15 में प्रावधानित कार्यो की सूची

1. उप स्वास्थ्य केन्द्र

क्र.	जिला	विकासखण्ड	उप स्वा. केन्द्र का नाम	बजट शीर्ष
1	बलौदा बाजार	कसडोल	नरधा	सामान्य क्षेत्र
2			सुकली	सामान्य क्षेत्र
3	दुर्ग	दुर्ग	रिसाली	सामान्य क्षेत्र
4			चिखली	सामान्य क्षेत्र
5	बेमेतरा	बेरला	खम्हरिया	सामान्य क्षेत्र
6			अतरगढी	सामान्य क्षेत्र
7		साजा	हाटरांका	सामान्य क्षेत्र
8			नवागांव कला	सामान्य क्षेत्र
9			कुरलू	सामान्य क्षेत्र
10		खण्डसरा	झाल	सामान्य क्षेत्र
11			मऊ	सामान्य क्षेत्र
12			बटार	सामान्य क्षेत्र
13	गरियाबंद	फिंगेश्वर	पोखरा	सामान्य क्षेत्र
14			देवरी	सामान्य क्षेत्र
15			सुकली भाठा	सामान्य क्षेत्र
16		मैनपुर	देहारगुडा	आदिवासी क्षेत्र
17			भैसमुडी	आदिवासी क्षेत्र
18		छुरा	गायडबरी	आदिवासी क्षेत्र
19			तौरेंगा	आदिवासी क्षेत्र
20		गरियाबंद	बेनखुरा	आदिवासी क्षेत्र
21			कसेरू	आदिवासी क्षेत्र
22			सीकासार	आदिवासी क्षेत्र
23			गुजरा	आदिवासी क्षेत्र
24	कांकेर	नरहरपुर	धनेसरा	आदिवासी क्षेत्र
25		चारामा	भर्रीटोला	आदिवासी क्षेत्र
26	बेमेतरा	नवागढ़	प्रमापपुर	विशेष घटक क्षेत्र
27			ठेंगाभाट	विशेष घटक क्षेत्र
28			कूरा	विशेष घटक क्षेत्र
29			खेडा	विशेष घटक क्षेत्र
30	बलौदा बाजार	बिलाईगढ़	परसापाली	विशेष घटक क्षेत्र
31			पिरदा	विशेष घटक क्षेत्र
32		पलारी	चुचरूंगपुर	विशेष घटक क्षेत्र
33		सिमगा	नेवारी	विशेष घटक क्षेत्र

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छ.ग.

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें
नस्ती क्र./0721 | क्र. 1644 दि. 20/3/14

विषय– वर्ष 2014–15 के बजट में सम्मिलित 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2014–15 के बजट में 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण हेतु रू.200.00 लाख का प्रावधान किया गया है। अतः भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

क्र.	मांग संख्या	प्राथमिक स्वा.केन्द्र का नाम	यूनिट लागत	कुल लागत
1	सामान्य क्षेत्र	निपनिया वि.ख.भाटापारा जिला बलौदा बाजार	61.96 लाख	61.96 लाख
	सामान्य क्षेत्र	दीवानमुडा वि.ख.देवभोग जिला गरियाबंद	61.96 लाख	61.96 लाख
2	आदिवासी क्षेत्र	कुकरेल वि.ख.नगरी जिला धमतरी	61.96 लाख	61.96 लाख
3	विशेष घटक क्षेत्र	नगरदा वि.ख.बिलाईगढ़ जिला बलौदा बाजार	61.96 लाख	61.96 लाख
	कुल	04	—	247.84 लाख

अतः वर्ष 2014–15 के बजट में प्रावधानित 04 प्राथमिक स्वा.केन्द्रों के भवन निर्माण का प्रस्ताव है। प्राथमिक स्वा.केन्द्र भवन निर्माण हेतु छ.ग.मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन से रू. 61.96 लाख का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्राक्कलन अनुसार कुल 04 प्राथमिक स्वा. केन्द्रों के भवन निर्माण पर रू. 61.96 लाख के मान से कुल रू. 247.84 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संचालक (स्वास्थ्य सेवायें)

आयुक्त, स्वास्थ्य

प्रमुख सचिव, (स्वास्थ्य)

नस्ती क्र./0721	क्र. 1409 दि. 21/2/14

विषय– वर्ष 2014–15 के बजट में सम्मिलित 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2014–15 के बजट में 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण हेतु रू. 160.00 लाख का प्रावधान किया गया है। अतः भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

क्र.	मांग संख्या	समुदायिक स्वा.केन्द्र का नाम	यूनिट लागत	कुल लागत
1	विशेष घटक क्षेत्र	पामगढ़ वि.ख.पामगढ जिला जांजगीर	194.76 लाख	194.76 लाख
	कुल	01	— —	194.76 लाख

अतः वर्ष 2014–15 के बजट में प्रावधानित 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का प्रस्ताव है। 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु छ.ग.मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन से रू. 194.76 लाख का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्राक्कलन अनुसार कुल 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण पर रू. 194.76 लाख की लागत से कुल रू. 194.76 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संचालक (स्वास्थ्य सेवायें)

आयुक्त, स्वास्थ्य

प्रमुख सचिव, (स्वास्थ्य)

वर्ष 2014-15 में स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण मद में निम्नानुसार 22 औषधालय भवन निर्माण (राशि ₹ 14.39 लाख प्रति दर से) हेतु ₹ 316.58 लाख का व्यय संभावित है :-

क्र	जिला	विकासखण्ड का नाम	स. क्र.	औषधालय का नाम	क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6
1	बिलासपुर	तखतपुर	1	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, घुटकू	सामान्य क्षेत्र
		कोटा	2	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बेलगहना	सामान्य क्षेत्र
			3	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, करगीखुर्द	सामान्य क्षेत्र
2	दुर्ग	दुर्ग	4	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, खोपली	सामान्य क्षेत्र
		डौण्डी लोहारा	5	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, पिनकापार	सामान्य क्षेत्र
			6	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, खेरथा	सामान्य क्षेत्र
		धमधा	7	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बोरी	सामान्य क्षेत्र
		दुर्ग	8	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, डेण्डेरा	सामान्य क्षेत्र
		बालोद	9	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, अर्जुन्दा	सामान्य क्षेत्र
3	राजनांदगांव	राजनांदगांव	10	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, पदुमतरा	सामान्य क्षेत्र
		खैरागढ़	11	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, अतरिया बाजार	सामान्य क्षेत्र
4	कबीरधाम	पण्डरिया	12	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, कुण्डा	सामान्य क्षेत्र
5	रायपुर	आरंग	13	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, रीवा	सामान्य क्षेत्र
		तिल्दा	14	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, टोहडा	सामान्य क्षेत्र
		कसडोल	15	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, रिकोकला	सामान्य क्षेत्र
			16	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, अर्जुनी	सामान्य क्षेत्र
		फिंगेश्वर	17	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, परसदाजांशी	सामान्य क्षेत्र
		फरसाबहार	18	शासकीय होम्योपैथी औषधालय, अर्जुनी	सामान्य क्षेत्र
6	राजनांदगांव	मोहला	19	शासकीय होम्योपैथी औषधालय, मोहला	अनुचित जनजाति क्षेत्र
7	रायपुर	गरियाबंद	20	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, गरियाबंद	अनुचित जनजाति क्षेत्र
8	बिलासपुर	तखतपुर	21	शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय, सांवाताल	अनुसूचित जाति क्षेत्र
		गौरेला	22	शासकीय होम्योपैथी औषधालय, गौरेला	अनुसूचित जाति क्षेत्र

परिशिष्ट – 07

Naya Raipur Development Authority

Utility Block, Sector-19, Capitol Complex , Near Mantralaya, Naya Raipur (C.G.)

ROPOSAL FOR THE 13TH FINANCE COMMISSION GRANTS FOR NAYA RAIPUR UNDER CAPITAL DEVELOPMENT

ANNUAL WORK PLAN (2014-15)

1- Eco-friendly Development Projects:

A. Use of Non-conventional energy resources:

(I) It was proposed to establish 1.0 MW Solar Energy Plant on the roof of newly constructed State Secretariat Building to promote green energy concept in Naya Raipur. **The project has been completed and 1.1 MW Solar Plant has been made functional on 05/04/2013 in Capitol-Complex** near State Secretariat Building with the grant of Rs. 9.14 crores from 13 th FC by CREDA, the nodal agency entrusted with development of renewal energy in the state.

(II) Earlier it was proposed to develop a Solar Energy Plant in the green belt of Naya Raipur to produce around 1.0 MW of Solar Power and to feed it in the electric grid. Approximately 5 acres of green belt area (in village Kuhera) . The project was supposed to be implemented under PPP Model and to make the project economically / financially viable a **Viability Gap Funding** of Rs. 4.50 crores is estimated.
It is proposed to drop this project from the work plan so that the saving can be used for the ongoing projects of water body development, where the cost of projects is escalating.

B. Conservation & Development of Water bodies:

(I) **Development of RAKHI Lake:-** The lake at the entry of Capital Complex in village Rakhi, was proposed at an approximate cost of Rs. 25.00 crores. Around the lake, landscaping is also proposed to be done as a part of the project. The lake is to be enlarged and conserved. The approximate area of lake is 24.55 Ha. **The Project has been completed in January, 2014 with a cost of Rs.32.14 crores.**

(II) It was proposed to conserve all the lakes presently in Naya Raipur area, however, out of these lakes the two major lakes namely the Sendh and

Nawagoan (Jhanjh) lakes are being developed and conserved in the first phase to maintain and improve the Urban Ecology of Naya Raipur. The area of these lakes are as under;

a. Sendh lake - 33.16 Ha.
b. Nawagoan(Jhanjh) lake - 65.08 Ha.

The Two lakes namely the Sendh and Nawagaon lakes are being developed under 13th Finance Commission Grant. The project cost for the conservation and development of these lakes is estimated Rs. 39.91 crores.

The Nawagaon (Jhajh) Project is likely to be completed by March,2015 and 50% of Sendh project will be completed by March'2015.

C. Plantation and Development of City Park

(I) **Plantation around Lake-** Naya Raipur as per approved Master Plan will have 27% green area. It was proposed the plantation all around the lake as a part of landscape development and in the catchment under 13th Finance commission Grant. The approximately cost of which comes out to Rs. 5.0 crores. **It is proposed to drop this project from the work plan so that the saving can be used for the ongoing project of Central City Park Development, where the cost of project is escalating.**

(II) **Development of Central City Park-** This central park comprises of the 2.2 km long median on a 200 m ROW road which is the ceremonial boulevard leading to the Capital Complex. It also includes the central rotary of 75m radius. The area of the City Park is around 28.63 Ha. The approximate cost of the development of City Park would be around Rs. 38.24 crores. The earth and structural work and 40 % of landscaping work has been completed. **The Proposed project is likely to be completed by October, 2014.**

2- Buildings:

A. Housing for Government officers and employees

(I) Re-imbursement to C.G. Housing Board for Residential Houses being built by C.G. Housing Board

It was proposed to purchase 332 Residential Houses for Government employees from C.G. Housing Board at the cost of Rs. 42.20 crores. **All 332 units of residential houses have been constructed and handed over to GAD for further allocation to Govt. servants.**

The details of residential houses are given below:-

Sl. No.	Types of Flats	Plinth area in Sq.M.	No. of Units	Unit cost in Lakhs	Estimated Cost in lakhs
1	G-Type Block				
	F 3A	107.52	36	24.83	893.88
	F 3B	101.48	48	24.34	1168.32
		Total	**84**		**2062.20**
2	H-Type Block				
	F 2A	69.79	36	14.60	525.60
		Total	**36**		**525.60**
3	I-Type Block				
		29.83	32	3.80	121.60
		45.72	108	7.98	861.84
		52.60	72	9.01	648.72
		Total	**212**		**1632.16**
		Grand Total	**332**		**4219.96**
				Or say	**4220.00**

(II) Construction of new Residential Houses- 420 units

New Residential Houses are to be constructed for the officers and employees of state Govt. in sector-17 and sector-18 at Naya Raipur. These Houses comprises of bungalows and flats as detailed below-

(a) In sector-18, earlier it was proposed to construct 35 nos. of the "B"-type Bungalows/ Residential Houses for Honorable Ministers, Chief Secretary, Additional Chief Secretaries and Principal Secretary level officers and 35 nos. of "C"-type Bungalows/ Residential houses for Secretary level officers along with G+2 VIP Transit Hostel. Due to delay in planning and preparation of estimate it is proposed to include the construction of 28 No. of "D" type , 50 no. of "E" type and 96 No. of "G" type quarters (total -174 units) including infrastructure development costing Rs. 65.57 crores in sector-17, whose layout is already approved by Town & Country Planning and DPR is prepared , in work plan instead of former project of sector-18. The same is proposed in revised work plan. 90 % of structural work will be completed this year.

(b) In sector-17, it was proposed to construct 18 nos. of the "D"-type and 36 nos. of "E"-type Residential Houses and 96 units of "F"-type Block, 48 units of "G"-type Block and 48 units of "H"-type Block for Government officials and employees. The total cost for the same including site development would be Rs. 92.39 crores.

Sl.no.	Type of Flats	No. of houses	Proposed Agency
1.	"D"	18	CGHB
2.	"E"	36	CGHB
3.	"F"	96	CGHB
4.	"G"	48	CGHB
5.	"H"	48	CGHB
6.	Site Development		CGHB
Total		246	

The above cost does not include the cost of land. CG housing Board has already started the construction of 246 houses and 90 % of structural work has been completed. **The project is likely to be completed by February, 2015.**

B. Office complex for State level Govt. offices

Apart from State Secretariat Building, a Head of Department Building is being constructed in Naya Raipur where 44 various Head of Departments offices were given office space. A few left Head of Departments offices were to be constructed in the office complex proposed in Naya Raipur. The area of office complex is approximately 50 Ha. The various office buildings proposed under 13th Finance Commission Grant. It is proposed to approve the revised estimated cost of various buildings to meet out the escalated cost of buildings, which are as detailed below-

Sl.no.	Name	Buildup area (in sq.m.)	Estimated cost (in crs.)	Rev. Estimated cost (in crs.)
1.	PHQ	20800	45.00	54.22
2.	PWD	7500	16.50	16.50
3.	IRRIGATION	9500	21.00	26.93
4.	FOREST	17750	38.00	40.76
5.	Panchayat & Rural Development	7500	16.50	22.48
6.	Jail &Home Guard	4500	10.00	12.73
7.	SRD (Commercial Tax, Excise, Registration)	6000	13.50	15.98
8.	A composite building(for the various statutory bodies / Commission of the Government)	13500	30.00	0.00
9.	Paryavas Bhawan under Green Building concept (for HoDs under Housing & Environment Deptt.)	23000	35.00	36.20
10.	Development of the infrastructure of the office complex.		24.50	26.80
Total			250 Cr.	

PHQ building – 90% of structural work and 70% of civil work has been completed and balance work of joinery, plumbing and electrical work & finishing works is likely to be completed by August this year.

PWD building – the construction of the building is started and it is proposed to complete 70% works of building in this year.

WRD building – 20 % of civil work has been completed and it is proposed to complete 70% works of building in this year.

Forest building - 25 % of civil work has been completed and it is proposed to complete 75% works of building in this year.

P&RD building - 10% of civil work has been completed and 75% work i.e. structural work, joinery, plumbing and electrical work & finishing works is likely to be completed this year.

Jail & Home Guard building - 25% of civil work has been completed and 75% work i.e. structural work, joinery, plumbing and electrical work & finishing works is likely to be completed this year.

SRD building - 10% of civil work has been completed and 60% work i.e. structural work, joinery, plumbing and electrical work & finishing works is likely to be completed this year.

Composite building for various Commissions – It is proposed to drop this building project from the work plan so that the saving from this project can be used for the other buildings projects, where the cost of buildings is escalating.

Prayawas building - 40% Of structural work has been completed and balance works i.e. joinery, plumbing and electrical work & finishing works is likely to be completed this year.

Development of infrastructure of the office complex- phase –I of infrastructure of the office complex in sector-19 has been completed and 40% of road, sewerage and electrical works of phase-II have been completed and it is proposed to complete all works of phase-II of infrastructure of the office complex in sector-19 by February, 2015.

Enclosure:- as per above

Chief Executive Officer
Naya Raipur Development Authority
Raipur

परिशिष्ट – द

विषयः– तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान हेतु स्वीकृत कार्य योजना में प्रस्तावित संशोधन बाबत्।

कार्य योजना में प्रस्तावित संशोधन :–

कार्य तेरहवें वित आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान के लिये उच्च अधिकार समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के विरूद्ध पशासकीय स्वीकृति, निविदा में प्राप्त दर, कार्य के स्कोप ऑफ वर्क में परिवर्तन तथा अन्य तकनीकी कारणों से कार्य के स्वरूप एवं लागत में परिवर्तन आया है। जिस कारण तेरहवें वित आयोग से प्राप्त अनुदान के नियत समय पर एवं पूर्ण उपयोग किया जाने के लिये कार्य योजना में निम्नानुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है–

(क) इको फ्रेंडली विकास परियोजनायें –

(i) गैर पंरपरागत ऊर्जा स्त्रोतों के विकास के लिये मंत्रालय के निकट 01मेगावॉट के सौर प्लांट के स्थापना हेतु ₹ 1050.00 लाख स्वीकृत किया गया था जिस पर मात्र ₹ 913.87 लाख का व्यय इस मद से हुआ है। अतः तद्नुसार संशोधित लागत मान्य किया जाना प्रस्तावित है।

(ii) पीपीपी मॉडल पर कुहेरा ग्राम में 01 मेगावॉट सौर प्लांट की स्थापना जिसमें केपिटल सब्सिडी(Viable gap funding) ₹450.00 लाख दिया जाना प्रस्तावित था, को कार्य योजना से विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।

(iii) झील तट पर वृक्षारोपण को कार्य योजना से विलोपित किया जाना प्रस्तावित है तथा इससे होने वाले बचत से **परिशिष्ट–द–1** के अनुरूप राखी झील, नवागांव (झांझ) एवं सेंध झील के विकास तथा सेंट्रल सिटी पार्क के विकास में बढ़ी हुई लागत के विरूद्ध उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। तद्नुसार संशोधित कार्य योजना का अनुमोदन प्रस्तावित है।

(ख) भवनों का निर्माण :–

(i) शासकीय सेवकों के लिये आवास – छ.ग. गृह निर्माण मंडल से सेक्टर–27 में 332 नग आवासीय इकाईयों का क्रय कर संपदा विभाग में उपलब्ध करा दिया गया है।

(ii) 246 इकाई नवीन आवासीय भवन का निर्माण छ.ग. गृह निर्माण मंडल द्वारा सेक्टर–17 में किया जाना है, जो इस वर्श पूर्ण कर लिया जायेगा।

(iii) पूर्व में सेक्टर – 18 में सी टाईप एवं उससे ऊपर के आवासीय भवन का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना था, जिसमें नियोजन एवं प्राक्कलन तैयार करने में होने वाली विलंब एवं विशयांतर्गत राशि के व्यपगत (lapse) होने जाने की बजाय नियत समय पर उपयोग करने की दृश्टि से सेक्टर–17 में नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित ले–आउट के अनुरूप छ.ग. गृह निर्माण मंडल द्वारा 28 डी टाईप, 50 सी टाईप एवं 96 जी टाईप जैसे 174 आवासीय भवनों का निर्माण प्रारंभ कराने का निर्णय लिया गया।

उक्त संशोधित कार्य योजना पर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तद्नुसार सशोधित कार्य योजना अनुमोदित एवं मान्य किये जाने का अनुरोध है।

(ग) **राज्य स्तरीय शासकीय कार्यालय भवनों का निर्माण**

(i) इसके अंतर्गत बनने वाले विभिन्न भासकीय मुख्यालय भवनों के निर्माण लागत में वृद्वि हो रही है। अतः **परिशिष्ट–द-1** के अनुरूप भवनों के संशोधित लागत का अनुमोदन संशोधित कार्य योजना के अनुरूप में किया जाना प्रस्तावित है।

(ii) सेक्टर–19 में राज्य निर्वाचन भवन, राज्य सूचना भवन एवं स्वास्थ्य भवन का निर्माण राज्य शासन के बजट से स्वीकृत किया गया है। समिति के समक्ष यह प्रस्तावित है कि भवनों का निर्माण में लगने वाले समय को देखते हुये तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाले राशि के नियत समय पर संपूर्ण उपयोग के लिये उपरोक्त तीनों भवनों को तेरहवें वित्त आयोग की कार्य योजना में भामिल किया जाये, जिससे प्रथमतः तेरहवें वित्त आयोग की राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके तथा शेष लागत का वहन राज्य शासन के बजट द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार संशोधित कार्य योजना का अनुमोदन हेतु आग्रह है।

संलग्नः– यथोपरि।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नया रायुपर डेव्हलपमेंट अथारिटी,
रायपुर (छ०ग०)।

C:\Users\nrda\Desktop\13fc annual plan 14-15\13 fc revised work plan.docx

परिशिष्ट –द–1

तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान के अंतर्गत पुनरीक्षित कार्य योजना

क.	मद	अनुमोदित कार्य योजना अनुसार वित्तीय प्रावधान	अनुमोदित कार्य योजना अनुसार प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति	संभावित व्यय को देखते हुए पुनरीक्षित कार्य योजना
1	2	3	4	5
1	इको फ्रेन्डली विकास योजना			लाख में
	1.गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों का विकास			
	अ. मंत्रालय भवन के छत पर 1 मेगावाट के सौर प्लॉट की स्थापना	1050.00	1050.00	914.00
	ब. पी.पी.पी. मॉडल पर कुहेरा ग्राम में 1 मेगावाट सौर प्लॉट की स्थापना *	450.00	0.00	0.00
	2.जलाशयों का विकास एवं संरक्षण			
	अ. राखी झील का विकास	2500.00	2458.00	3214.00
	ब. नवागांव झील का विकास	3000.00	1839.00	2748.00
	स. सेंध झील का विकास #		1471.00	1248.00
	3.वृक्षारोपण एवं सेन्ट्रल सिटी पार्क का विकास			
	अ. झील तट पर वृक्षारोपण **	500.00	0.00	0.00
	ब. सेन्ट्रल सिटी पार्क का विकास	2500.00	2500.00	3824.00
	योग	**10000.00**	**9318.00**	**11943.00**
2.	भवनों का निर्माण			
	1. शासकीय सेवकों के लिए आवास			
	अ. छ.ग. गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित आवासों की प्रतिपूर्ति	4220.00	4219.96	4219.96
	ब. 246 इकाई नवीन आवासीय भवनों का निर्माण –छ.ग. गृह निर्माण मंडल	8673.00	9239.80	9239.80
	स. 35–35नग डी एवं सी टाइप आवासीय भवनों का निर्माण– लो. नि. वि.के स्थान पर 174 इकाई नवीन आवासीय भवनों का निर्माण –छ.ग. गृह निर्माण मंडल	7107.00	6557.00	6557.00
	योग	**20000.00**	**20016.76**	**20016.76**
	2. राज्य स्तरीय शासकीय कार्यालय भवनों का निर्माण			
	पुलिस मुख्यालय	4500.00	4185.00	5422.00
	लोक निर्माण विभाग ##	1650.00	1715.00	1650.00
	जल संसाधन विभाग	2100.00	1575.00	2693.00
	वन विभाग	3800.00	3150.00	4076.00
	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1650.00	1650.00	2248.00
	नगर सेना एवं जेल विभाग संयुक्त विभाग	1000.00	1000.00	1273.00
	पर्यावास भवन	3500.00	3192.00	3620.00
	वाणिज्यकर विभाग संयुक्त भवन	1350.00	1350.00	1598.00
	संयुक्त आयोग भवन ***	3000.00	0.00	0.00
	अधोसंरचना विकास	2450.00	2339.00	2680.00
	योग	**25000.00**	**20156.00**	**25260.00**
	महायोग	**55000.00**	**49490.76**	**57219.76**

*, **, *** ------ कार्य योजना से विलोपित किया जाना प्रस्तावित है ।

#, ## ------ कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए प्रस्तुत मद की राशि दूसरे कार्यों में बढ़ाया जाना प्रस्तावित है ।

तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान हेतु कार्य योजना

विभाग का नामः–आवास एवं पर्यावरण विभाग
कार्यालय का नाम – नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर

		रूपये लाख में
क्र.	मद	कार्य योजना वित्तीय वर्ष (2014–15)
1	2	3
1	**इको फ्रेन्डली विकास योजना**	
	1.गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों का विकास	
	अ. मंत्रालय भवन के निकट 1 मेगावाट के सौर प्लान्ट की स्थापना	0.00
	ब. पी.पी.पी. मॉडल पर कुहेरा ग्राम में 1 मेगावाट सौर प्लान्ट की स्थापना	0.00
	2.जलाशयों का विकास एवं संरक्षण	
	अ. राखी झील का विकास	100.00
	ब. सेंध एवं नवागांव (झांझ) झील का विकास	950.00
	3.वृक्षारोपण एवं सेन्ट्रल सिटी पार्क का विकास	
	अ. झील तट पर वृक्षारोपण	0.00
	ब. सेन्ट्रल सिटी पार्क का विकास	200.00
	योग	**1250.00**
2.	**भवनों का निर्माण**	
	1. शासकीय सेवकों के लिए आवास	
	अ. छ.ग. गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित 332 आवासों की प्रतिपूर्ति	0.00
	ब. 246 इकाई नवीन आवासीय भवनों का निर्माण– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (सेक्टर–17)	1500.00
	स. 174 इकाई नवीन आवासीय भवनों का निर्माण (सेक्टर–17)	2000.00
	योग	**3500.00**
	2. राज्य स्तरीय शासकीय कार्यालय भवनों का निर्माण	
	पुलिस मुख्यालय भवन	1900.00
	लोक निर्माण विभाग भवन	500.00
	जल संसाधन विभाग भवन	200.00
	वन विभाग भवन	300.00
	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भवन	1000.00
	नगर सेना एवं जेल विभाग संयुक्त विभाग भवन	500.00
	पर्यावास भवन	2500.00
	वाणिज्यकर विभाग संयुक्त भवन	700.00
	संयुक्त आयोग भवन	0.00
	आफिस काम्पलेक्स का अधोसंरचना विकास	900.00
	राज्य सूचना भवन	150.00
	राज्य निर्वाचन भवन	150.00
	स्वास्थ्य भवन	200.00
	योग	**9000.00**
	महायोग	**13750.00**

General Manager (Fin. & Acctt.)
Naya Raipur Development Authority,
Raipur.

परिशिष्ट – 8

पुलिस विभाग

13वां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान के अन्तर्गत

वित्तीय वर्ष 2014-15 की कार्ययोजना

स0क्र0	जिला/इकाई	कार्य का विवरण						लागत राशि लाख में
1	पुलिस अकादमी, चन्दखुरी	एफ0एस0एल लैब एवं सीन ऑफ क्राईम भवन						35.00
		आदर्श थाना						20.00
		बाउण्ड्रीवाल स्टॉफ क्वार्टर/परेड ग्राउण्ड						91.24
		लायब्रेरी एवं रीडिंग रूम						35.00
		सी-टाईप निदेशक बंगला						40.00
		प्रधान आरक्षक/आरक्षक आवासगृह - 40 नग						303.76
		Sub Total						**525.00**
2	सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज, कांकेर	प्रशासनिक भवन द्वितीय तल (328.54 वर्गमीटर)						300.00
		बाउण्ड्रीवाल (ट्यूवेल पैरलल रूफ स्लेब सहित)-1000 मीटर						200.00
		व्हीआईपी गेस्ट हाऊस तक पहुंच मार्ग (सीसी रोड) - 95.5X12मी0						25.00
		Sub Total						**525.00**
		Total						**1050.00**
3		अराजपत्रित आवासगृह			प्र0आर0/आरक्षक आवासगृह			Amount
		संख्या	यूनिट लागत लाख में	कुल लागत लाख में	संख्या	यूनिट लागत लाख में	कुल लागत लाख में	
	नारायणपुर	16	9.09	145.44	80	7.2325	578.60	724.04
	महासमुन्द	8	9.09	72.72	80	7.2325	578.60	651.32
	जशपुर	8	9.09	72.72	64	7.2325	462.88	535.60
	धमतरी	16	9.09	145.44	64	7.2325	462.88	608.32
	जांजगीर-चांपा	8	9.09	72.72	64	7.2325	462.88	535.60
	रायगढ़	8	9.09	72.72	80	7.2325	578.60	651.32
	कोरिया	8	9.09	72.72	64	7.2325	462.88	535.60
	9वीं वाहिनी, दन्तेवाड़ा	8	9.09	72.72	80	7.2325	578.60	651.32
	10वीं वाहिनी, सरगुजा	8	9.09	72.72	80	7.2325	578.60	651.32
	पीटीएस, मैनपाट	14	9.09	127.26	80	7.2325	578.60	705.86
	TOTAL	**102**		**927.18**	**736**	**72.325**	**5323.12**	**6250.3**
	GRAND TOTAL							**7300.30**
	Say Rs.							**7300.00**
	(Rs. Seventy Three Crore only)							

परिशिष्ट-09
95

बिन्दु कमांक 1 13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2014-15 के तहत वार्षिक कार्य योजना (आंशिक संशोधन) प्रस्ताव

क्र.	कार्य विवरण		अनुमानित लागत	कुल राशि
1	नवीन उप जेलों का निर्माण	100-100 बंदी क्षमता वाली 02 नवीन उप जेलों का निर्माण (भाटापारा एवं भानुप्रतापपुर)	976.00 लाख प्रति जेल	1952.00 लाख
2	शासकीय आवास का निर्माण	1. 10 नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जेलों के लिए कुल 10 नग जी टाईप आवास निर्माण 2. 14 नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जेलों के लिए 132 नग एच टाईप आवास निर्माण	10.00 लाख प्रति कुल 100.00 लाख 6.50 लाख प्रति कुल 860.00 लाख	960.00 लाख
3	मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	केन्द्रीय जेल दुर्ग में 20-20 बंदी क्षमता वाली कुल 18 नग बंदी बैरक्स निर्माण कार्य	20.00 लाख प्रति बैरक्स कुल 360.00 लाख	360.00 लाख
4	सुरक्षा उपकरणों का क्रय	1. प्रदेश की 25 जेलों में ऊर्जा दक्ष वितरण प्रणाली की स्थापना 2. प्रदेश की 25 जेलों में ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरण की स्थापना 3. केन्द्रीय जेल रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर, दुर्ग एवं जिला जेल रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा, जशपुर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, जांजगीर, धमतरी, महासमुन्द, उप जेल बलौदाबाजार, गरियाबन्द, कटघोरा, सूरजपुर में सोलर पावर प्लांट की स्थापना (क्षमता में वृद्धि)	कुल 51.75 लाख कुल 43.20 लाख कुल 383.00 लाख	478.00 लाख
			योग	3750.00 लाख

बिन्दु कमांक 1 13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2014-15 के तहत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत विवरण

अ. 02 नवीन उप जेलों का निर्माण :-

प्रदेश में वर्तमान में कुल 29 जेलें हैं जिनमें से 27 जेलें कार्यरत एवं 02 उप जेल सुरक्षा कारणों से बंद हैं । वर्तमान में संचालित जेलों की अधिकृत आवास क्षमता कुल 6242 बंदी की है जिसके विरूद्ध माह मई 2014 की स्थिति में कुल 16077 पुरूष/महिला बंदी निरूद्ध हैं ।

इस समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश की नवनिर्मित जिला बलौदाबाजार में संचालित उप जेल बलौदाबाजार के ओव्हर काउडिंग की समस्या के निराकरण के लिए भाटापरा तहसील में 100 बंदी क्षमता वाली 01 नवीन उप जेल का निर्माण किया जाना भी आवश्यक है । उप जेल बलौदाबाजार में 70 बंदी आवास क्षमता के विरूद्ध माह मई 2014 की स्थिति में 222 बंदी निरूद्ध थे ।

इसी प्रकार जिला कांकेर में एकमात्र जिला जेल कांकेर संचालित है जहां की अधिकृत बंदी आवास क्षमता 65 के विरूद्ध माह मई 2014 की स्थिति में कुल 429 बंदी निरूद्ध है । कांकेर जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है । जिला जेल कांकेर के ओव्हर काउडिंग की समस्या के निराकरण के लिए जिला कांकेर के भानुप्रतापपुर तहसील में 100 बंदी क्षमता वाली 01 नवीन उप जेल का निर्माण कराया जाना है ताकि नक्सली अपराधों के साथ-साथ साधारण अपराधों में नियंत्रण रखे जाने में आसानी होगी तथा जिले के बंदियों को अन्य जिले की दूरस्थ जेलों में भेजे जाने की समस्या से भी निजात मिल सकेगी ।

उपरोक्त प्रस्तावित 02 नवीन उप जेल की अधिकृत आवास क्षमता 100-100 बंदियों की होगी । उक्त जेलों में प्रशासनिक कार्यालय, 20-20 बंदी क्षमता वाले 04 पुरूष बैरक, 20 बंदी क्षमता वाला महिला बैरक/खण्ड, किचन, अस्पताल भवन, सेल, अष्टकोण, शौचालय, स्नानागार, गार्डरूम, भण्डार गृह, आर्मोरी, चारों ओर 01-01 वाच टावर, मुलाकात कक्ष, वर्कशेड आदि के निर्माण कार्य शामिल है जिस पर प्रति जेल राशि रूपये 976.00 लाख के मान से कुल राशि रूपये 1952.00 लाख का व्यय होना है ।

ब. स्टाफ हेतु आवास निर्माण :-

प्रदेश की जेलों हेतु राज्य शासन द्वारा कुल 2227 पद स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध 1002 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं । जेल विभाग में कुल 1225 पद रिक्त हैं जिनके पूर्ति की कार्यवाही जारी है । छत्तीसगढ़ जेल मैन्युअल के नियम 266 के अनुसार जेलों में पदस्थ अधिकारियों /कर्मचारियों को जेल परिसर में ही निवास कराना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें जेल परिसर में आवास उपलब्ध कराना विभाग का प्रमुख दायित्व है । प्रदेश की जेलों में स्वीकृत सेट-अप के विरूद्ध उपलब्ध आवासगृहों की संख्या लगभग 533 है, आवास की कमी के कारण जेल सुरक्षा कर्मचारियों को जेल परिसर से बाहर दूरस्थ स्थानों में किराये से रहना पड़ता है, जिससे आकस्मिक परिस्थिति में उन्हे तत्काल गेट पर बुलाना संभव नही हो पाता है परिणामस्वरूप जेल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है, साथ ही संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है ।

आज के परिवेश में जबकि जेल विभाग विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे नक्सली समस्या, ओव्हर काउडिंग आदि का सामना कर रहा है जिससे विभाग के समक्ष चुनौतियाँ बढ़ी है, ऐसी स्थिति में उक्त चुनौतियों से निपटने हेतु अमले का दिमागी एवं शारीरिक तौर पर चुस्त-दुरूस्त एवं संतुलित रहना आवश्यक है। अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय आवास उपलब्ध हो जाने से उनकी समस्या का समाधान हो जाता है तथा वह पूरी निष्ठा एवं लगन से अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रेरित होता है । प्रदेश की 10 नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जेलों में कार्यरत स्टाफ के लिए कुल 10 नग जी टाईप एवं 14 नग नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जेलों में कार्यरत स्टाफ के लिए कुल 200 नग एच टाईप आवास निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है जिस पर 960.00 लाख के व्यय का अनुमान है ।

स. मरम्मत एवं जीर्णोद्धार :-

केन्द्रीय जेल दुर्ग की अधिकृत आवास बंदी क्षमता 396 की है जिसके विरूद्ध माह मई 2014 की स्थिति में 1666 बंदी निरूद्ध है । केन्द्रीय जेल दुर्ग का उन्नय एवं विस्तारीकरण कार्य स्वीकृत है जिसमें मुख्य दीवार का विस्तार एवं 20-20 बंदी क्षमता वाली कुल 5 बंदी बैरक्स का निर्माण कार्य शामिल है । उक्त 05 बंदी बैरक्स के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी केन्द्रीय जेल दुर्ग की बंदी आवास क्षमता में मात्र 100 की वृद्धि नहीं होगी जिससे कि उक्त जेल की ओव्हर काउडिंग की समस्या में कमी हो सके ।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विशेष दूत श्रीमती एस.जलजा द्वारा प्रदेश की जेलों का निरीक्षण किया गया था तथा ओव्हर काउडिंग की ओर विशेष ध्यान देकर अनुशंसा किया गया है कि प्रदेश की जेलों में ओव्हर काउडिंग की समस्या के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किया जाये ।

अत: केन्द्रीय जेल दुर्ग की अधिकृत आवास क्षमता में वृद्धि किये जाने एवं जेल की ओव्हर काउडिंग की समस्या के निराकरण के लिए केन्द्रीय जेल दुर्ग में 20-20 बंदी क्षमता वाली कुल 18 नग बंदी बैरक्स का निर्माण कार्य प्रस्तावित है जिसमें प्रति बैरक 20.00 लाख के मान से कुल राशि रूपये 360.00 लाख का व्यय होना है ।

द. जेलों की सुरक्षा हेतु सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना :-

प्रदेश की 16 जेलें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित है इसी प्रकार 05 केन्द्रीय जेलों में सर्किल की अधीनस्थ जेलों के निरूद्ध नक्सली मामलों के बंदियों को निरूद्ध रखा जाता है । जेलों की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य आवश्यक है । प्रदेश की 25 जेलों में केडा विभाग के सहयोग से ऊर्जा दक्ष वितरण प्रणाली, ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरण तथा 18 जेलों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है ताकि रात्रि में अबाध प्रकाश व्यवस्था बनाए रखा जा सके ।

अत: 13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2014-15 के तहत जेलों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु राशि रूपये 478.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।

परिशिष्ट -10

बिन्दु कमांक 1-ब 13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2012-13 की बचत राशि से कार्य

13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2012-13 के प्रावधानित कार्यो के लिए वित्तीय वर्ष में प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही जारी रहने के कारण राशि रूपये 1464.18 लाख को वर्ष 2013-14 के प्रथम अनुपूरक अनुमान में पुन: प्रावधान किया गया था उक्त राशि से 381.72 लाख के कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है शेष राशि रूपये 1082.46 लाख के कार्यो (04 जेलों का विस्तारीकरण, 04 जेलों के मुख्य दीवार के पास कंसर्टीना वायर फेंसिंग, 10 नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जेलों हेतु फायर फायटिंग उपकरण कय, नर्वान जेल दन्तेवाड़ा के कार्य, बिलासपुर एवं दन्तेवाड़ा में शौचालय) निर्माण कार्य प्रावधानित थे उक्त प्रावधान में आंशिक संशोधन करते हुए जिला जेल दन्तेवाड़ा एवं केन्द्रीय जेल बिलासपुर के कार्य के स्थान पर जिला जेल कोरबा, उप जेल सूरजपुर के मुख्य दीवार के विस्तारीकरण, केन्द्रीय जेल दुर्ग में बायोमास गैसीफायर संयंत्र का उन्नयन, प्रदेश की 22 जेलों में सोलर पावर सिक्यूरिटी एडवांस फेंसिंग का कार्य कराये जाने लिए राशि का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है । अत: 13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2012-13 के प्रावधानित कार्यों एवं कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत शेष बची राशि रूपये 1082.46 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में पुन: प्रावधानित/स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है ।

बिन्दु कमांक 1-स 13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2013-14 के प्रावधानित राशि के कार्य

13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2013-14 के लिए 05 कार्यो के लिए राशि रूपये 3750.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसमें से नवीन उप जेल बलरामपुर निर्माण- 748.00 लाख, जेलों में कार्यरत स्टाफ के लिए आवास निर्माण कार्य हेतु 554.00 लाख एवं जेलों में निरूद्ध बंदियों को पेयजल, स्वच्छता/ नाली निर्माण के लिए राशि रूपये 505.00 लाख के कार्यो के लिए प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही जारी है ।

स-1. 13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2013-14 के तहत प्रदेश की 17 जेलों (जगदलपुर-5, अम्बिकापुर-4, महासमुन्द-5, जांजगीर-5, कोरबा-6, रायगढ़-15, कटघोरा-3, मनेन्द्रगढ़-4, रामानुजगंज-2, बलौदाबाजार-8, बेमेतरा-6, पेण्ड्रारोड-3, कबीरधाम-3, सक्ती-2, सुकमा-3, नारायणपुर-2, बीजापुर-2) में कुल 78 नग बंदी बैरक्स/शौचालय निर्माण कार्य के लिए राशि रूपये 1747.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान के विरूद्ध 78 नग बंदी बैरक्स निर्माण कार्य के लिए राशि रूपये 1560.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी जिसमें से 187.00 लाख बची हुई है । उक्त शेष बची राशि से जिला जेल रायगढ़ में (19 नग एच टाईप शासकीय आवास निर्माण, परिसर बाउण्ड्रीवाल एवं मुख्य दीवार के पास कंसर्टीना वायर फेंसिंग, भण्डार कक्ष का मरम्मत, आयरन कोटयार्ड निर्माण, सी.सी.रोड, नाली निर्माण, प्लास्टरिंग कार्य) राशि रूपये 187.00 लाख के कार्य कराए जाने प्रस्तावित है । अत: वर्ष 2013-14 के उक्त बचत राशि रूपये 187.00 लाख को संशोधित कार्य कराए जाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में पुन: प्रावधानित/स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है ।

स–2. जिला बलरामपुर में 100 बंदी क्षमता वाली 01 नवीन उप जेल भवन निर्माण कार्य के लिए राशि रूपये 748.00 लाख का प्रावधान ।

जिला बलरामपुर के समीप ही उप जेल रामानुजगंज संचालित है । उप जेल रामानुजगंज की बंदी आवास क्षमता 90 की है जिसके विरूद्ध माह मई 2014 की स्थिति में 322 बंदी निरूद्ध हैं । उप जेल रामानुजगंज में निर्धारित आवास क्षमता से अधिक बंदी निरूद्ध होने के कारण बंदियों की ओव्हर काउडिंग की समस्या के निराकरण के लिए बलरामपुर में 50 बंदी क्षमता वाली नवीन उप जेल का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है । विगत वर्ष 2013–14 में बलरामपुर में 100 बंदी क्षमता वाली नवीन उप जेल निर्माण के लिए राशि रूपये 748.00 लाख का प्रावधान किया गया था । उक्त प्रावधान 100 बंदी क्षमता के स्थान पर 50 बंदी क्षमता वाली नवीन उप जेल बलरामपुर में निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । अतः राशि रूपये 748.00 लाख को नवीन उप जेल बलरामपुर के निर्माण के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में पुनः प्रावधानित/स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है ।

स–3. प्रदेश की जेलों में कार्यरत स्टाफ के लिए 4 नग एफ (रायगढ़, महासमुन्द, एवं कोरबा में 01–01), 8 नग जी (रायगढ़–2, कोरबा–1, बैकुण्ठपुर–2 एवं जांजगीर–2) 71 नग एच टाईप (अम्बिकापुर–6, कांकेर–4, बैकुण्ठपुर–5, महासमुन्द–5, रायगढ़–6, जांजगीर–5, बेमेतरा–6, पेण्ड्रारोड –5, मनेन्द्रगढ़–6, रामानुजगंज–6 एवं सूरजपुर–17) आवास कुल 81 नग आवास निर्माण कार्य के लिए राशि रूपये 555.00 लाख का प्रावधान किया गया था ।

उपरोक्त प्रावधान अनुसार आवास निर्माण कार्य के लिए आवासों के प्राक्कलनों के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही जारी है । चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति संभावित है । अतः 13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2013–14 के लिए स्वीकृत प्रावधान अनुसार जेल विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवश्यक शासकीय आवास निर्माण कार्य के लिए प्रावधानित राशि रूपये 555.00 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में पुनः प्रावधानित/स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है ।

स–4. प्रदेश की 01 नवीन जेल बलरामपुर के लिए 03 नग जी एवं 28 नग एच टाईप कुल 31 नग आवास निर्माण कार्य के लिए राशि का प्रावधान किया गया था ।

13 वें आयोग की योजना वर्ष 2013–14 के स्वीकृत प्रावधान नवीन उप जेल बलरामपुर के स्टाफ के लिए 3 नग जी एवं 28 नग एच टाईप आवास निर्माण कार्य के लिए राशि रूपये 196.00 लाख का प्रावधान स्वीकृत किया गया था जिसमें जेलों में निरूद्ध बंदियों को आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंशिक संशोधन करते हुए प्रदेश की 16 जेलों में 25 यूनिट (250 नग पुरूष बंदी शौचालय, 25 नग पानी टंकी, 25 नग नहाने का चबूतरा) शौचालय/स्नानागार निर्माण कार्य के लिए राशि रूपये 195.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 23.12.2013 को जारी की गई है जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रस्तावित है ।

स–5. प्रदेश की 15 जेलों में ओव्हर हेड वाटर टैंक निर्माण, 14 जेलों में नाली निर्माण एवं केन्द्रीय जेल बिलासपुर में सेक्टरवाल, नाली, शौचालय /स्नानागार निर्माण कार्य के लिए कुल राशि रूपये 505.00 लाख का प्रावधान किया गया था ।

उपरोक्त स्वीकृत प्रावधान अनुसार प्रदेश की 15 जेलों (केन्द्रीय जेल रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, जिला जेल महासमुन्द, धमतरी, राजनांदगांव, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़, कांकेर, बैकुण्ठपुर, उप जेल कटघोरा, मनेन्द्रगढ़, बलौदाबाजार, संजरीबालोद, बेमेतरा, डोंगरगढ़, पेण्ड्रारोड) में ओव्हर हेड वाटर टैंक निर्माण एवं 14 जेलों (केन्द्रीय जेल रायपुर, दुर्ग, जिला जेल महासमुन्द, राजनांदगांव, जशपुर, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़, बैकुण्टपुर, उप जेल कटघोरा, मनेन्द्रगढ़, बलौदाबाजार, बेमेतरा, पेण्ड्रारोड) में नाली निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति/प्राक्कलन प्राप्ति की कार्यवाही जारी है ।

केन्द्रीय जेल बिलासपुर में सेक्टरवाल, नाली एवं शौचालय निर्माण कार्य के लिए 26.6.2013 को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है । शेष जेलों में के निर्माण कार्यों के लिए पूर्व प्रावधान अनुसार राशि रूपये 445.00 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में पुनः प्रावधानित /स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रदेश की जेलों के अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए 13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2012-13 की बचत राशि, वर्ष 2013-14 के उपरोक्त स्वीकृत प्रावधानित कार्यों के लिए कुल राशि रूपये 1935.00 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में पुनः प्रावधानित/स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है ।

क.	वर्ष	कार्य का विवरण	प्रावधानित राशि	पुनः प्रावधान हेतु राशि
1	2012-13	04 जेलों (जिला जेल जांजगीर, धमतरी, जशपुर एवं उप जेल बलौदाबाजार) का विस्तारीकरण- 486.66 लाख 04 जेलों (केन्द्रीय जेल जगदलपुर, जिला जेल कांकेर, उप जेल सूरजपुर एवं उप जेल गरियाबन्द) के मुख्य दीवार के पास कंसर्टीना वायर फेंसिंग 39.04 लाख, 10 नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जेलों हेतु फायर फायटिंग उपकरण क्रय- 50.00 लाख, नवीन जेल दन्तेवाड़ा के कार्य, बिलासपुर एवं दन्तेवाड़ा में शौचालय निर्माण कार्य के प्रावधान में आंशिक संशोधन करते हुए जिला जेल कोरबा के मुख्य दीवार का विस्तारीकरण कार्य -200.00 लाख, उप जेल सूरजपुर के मुख्य दीवार के विस्तारीकरण का कार्य-151.80 लाख, केन्द्रीय जेल दुर्ग में बायोमास गैसीफायर संयंत्र का उन्नयन -10.00 लाख, 22 जेलों में सोलर पावर सिक्यूरिटी एडवांस फेंसिंग-145.00 लाख	1082.46	1082.46
2	वर्ष 2013-14	17 जेलों में 312 शौचालय/312 स्नानगार निर्माण कार्य की बचत राशि के कार्य के स्थान पर जिला जेल रायगढ़ में (19 नग एच टाईप शासकीय आवास निर्माण, जेल परिसर की बाउण्ड्रीवाल एवं मुख्य दीवार के पास कंसर्टीना वायर फेंसिंग, भण्डार कक्ष का मरम्मत, आयरन कोटयार्ड निर्माण, सी.सी.रोड, मरम्मत एवं प्लास्टरिंग कार्य) निर्माण कार्य	187.00	187.00 लाख

3		50 बंदी नवीन उप जेल बलरामपुर का निर्माण का निर्माण (मुख्य दीवार निर्माण, बैरक्स, अस्पताल, बंदी शौचालय/ स्नानागार, नाली, स्कूल भवन, सभा भवन, वाच टावर एवं अन्य आवश्यक निर्माण)	748.00	748.00 लाख
4		जेलों में कार्यरत स्टाफ के लिए एफ, जी, एच टाईप कुल 83 नग आवास निर्माण	555.00	555.00 लाख
5		जेलों में पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी निर्माण कार्य (ओव्हर हेड वाटर टैंक एवं नाली निर्माण)	445.00	445.00 लाख
		योग	1935.00	1935.00 लाख
6		01 नवीन उप जेल बलरामपुर के स्टाफ के लिए आवास निर्माण कार्य में आंशिक संशोधन कर प्रदेश की 16 जेलों में निरूद्ध पुरूष बंदियों हेतु कुल 25 यूनिट शौचालय, पानी टंकी, नहाने का चबूतरा निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन	195.00	

बिन्दु कमांक 2. गत वर्ष की बैठक का कार्यवाही विवरण

गत वर्ष के बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के स्वीकृत कार्य का विवरण प्रदर्श 'ब' में संलग्न है।

बिन्दु कमांक 3. वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में प्राप्त अनुदान के विरूद्ध निर्माण एजेंसियों को सौंपी गई राशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है । प्रदर्श 'स' संलग्न

(गिरिधारी नायक)
महानिदेशक
एवं सुधारात्मक सेवाएं
छत्तीसगढ़ रायपुर

नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जेलों के नाम

1. केन्द्रीय जेल जगदलपुर
2. जिला जेल दन्तेवाड़ा
3. जिला जेल कांकेर
4. उप जेल सुकमा (अस्थाई रूप से बंद)
5. उप जेल नारायणपुर (अस्थाई रूप से बंद)
6. केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर
7. जिला जेल जशपुर
8. जिला जेल बैकुण्ठपुर
9. उप जेल रामानुजगंज
10. उप जेल सूरजपुर
11. उप जेल मनेन्द्रगढ़
12. जिला जेल धमतरी
13. उप जेल गरियाबन्द
14. जिला जेल राजनांदगांव
15. उप जेल डोंगरगढ़

पारि०१०२-11

1

SCHEME FOR PRESERVATION OF HERITAGE

PROPOSAL FOR XIII[TH] FINANCE COMMISSION

YEAR 2014-2015

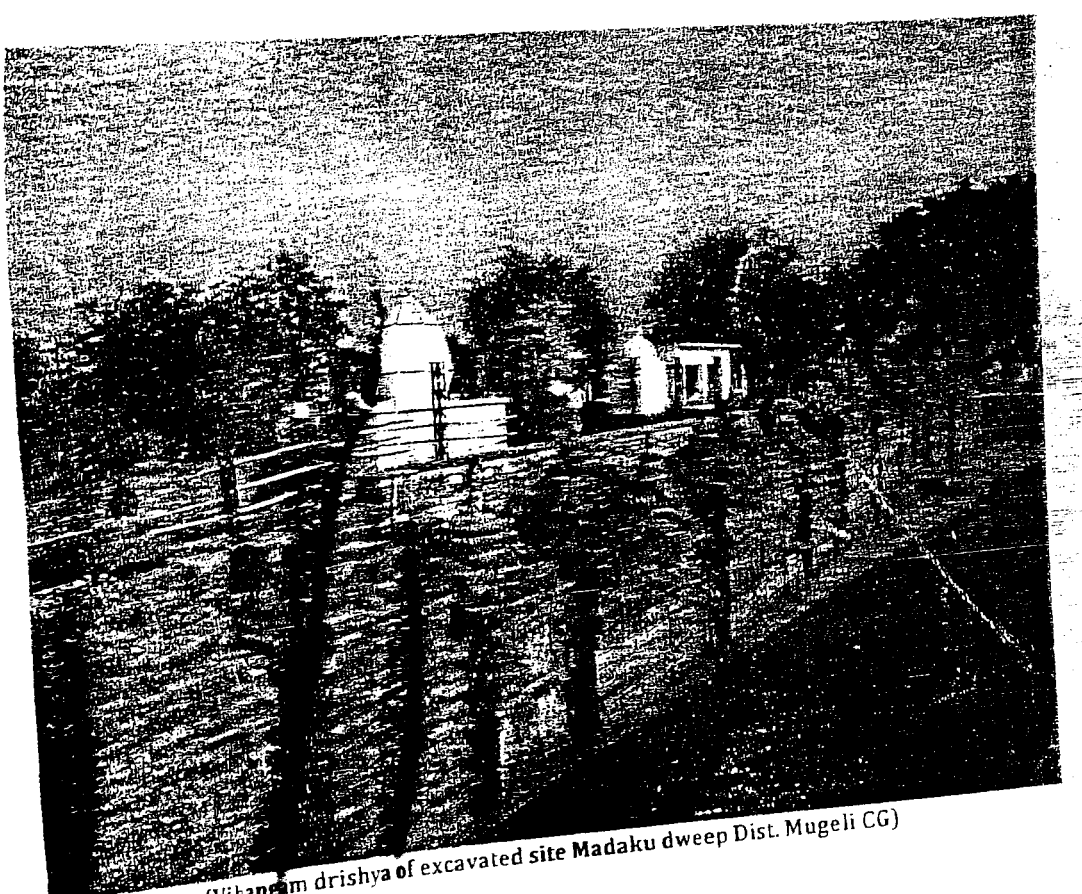

(Vihangam drishya of excavated site Madaku dweep Dist. Mugeli CG)

DIRECTORATE OF CULTURE AND ARCHAEOLOGY

DEPARTMENT OF CULTURE
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, RAIPUR

Directorate of Culture and Archaeology
Govt. of Chhattisgarh

ABSTRACT

Proposal for XIIIth Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2014-15

S. NO.	PARTICULARS	ESTIMATED AMOUNT RS.
I	CONSERVATION WORK OF MONUMENTS	7,00,00,000/-
II	CHEMICAL CONSERVATION OF MONUMENTS & ANTIQUITIES	25,00,000/-
III	DISTRICT ARCHAEOLOGICAL MUSEUM	1,70,00,000/-
IV	SURVEY & EXPLORATION	20,00,000/-
V	WORKSHOP/SEMINAR ON CONSERVATION AND PRESERVATION OF HERITAGE.	90,00,000/-
VI	TRAINING FOR HERITAGE PRESERVATION	30,00,000/-
VII	EQUIPMENTS	20,00,000/-
VIII	HONORARIUM	10,00,000/-
IX	DOCUMENTATION, PUBLICATION & EXHIBITION	60,00,000/-
	Grand Total	**11,25,00,000/-**

Proposal for XIII[th] Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2014-15

I. CONSERVATION WORK OF MONUMENTS

S. No.	Monuments / Sites	Place, District	Estimated Amount
1	State protected manument Shiv temple	Kirarigodi, Bilaspur	50,00,000/-
2	State protected manument Shiv temple	Ganiyari, Bilaspur	10,00,000/-
3	State protected manument jagannath temple	Khallari,Mahasamund	40,00,000/-
4	State protected monument kabirpanthi satguru ki teen majar	Kudurmal,.korba	50,00,000/-
5	State protected monument Runed brick temple	Garhdhanora, Kondagaon	50,00,000/-
6	State protected monument Gudiyari shiv temple	Kesarpal, Kondagaon	50,00,000/-
7	State protected monument Shiv temple gumdapal	Gumdapal, baster	50,00,000/-
8	Excavated site shiv temple	Maheshpur, Sarguja	50,00,000/-
9	State protected monument Laxmaneshwer temple	Kharoud, Janjgir-Champa	50,00,000/-
10	State protected monument Karneshwer mahadev temple group	Sihawa, Dhamtari	50,00,000/-
11	State protected manument Shiv temple	Nagpura, Durg	10,00,000/-
12	State protected monument Runed brick temple	Dondilohara, Balod	20,00,000/-
13	State protected manument Dhumnath temple	Sargaon, Mungeli	20,00,000/-
14	State protected monument Kukurdev Temple	Khapri, Balod	50,00,000/-
15	Excavated site	Sirpur, Mahasamund	1,00,00,000/-
16	protected monument Samatsarna	Dipadih, Balrampur	50,00,000/-
Total			**7,00,00,000/-**

Proposal for XIII[th] Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2014-15
II. CHEMICAL CONSERVATION OF MONUMENTS & ANTIQUITIES

S. No.	Monuments & Antiquities	Place, District	Estimated Amount
1	State protected monument Karneshwer mahadev temple group	Sihawa, Dhamtari	6,00,000/-
2	protected monument Shiv temple(school building)	Dipadih, Balrampur	7,00,000/-
3	State protected monument Fanikeshwernath temple	Fingeshwer, Gariyabandh	5,00,000/-
4	State protected monument Shiv Temle	Harratola, Sarguja	7,00,000/-
Total			25,00,000/-

Proposal for XIII[th] Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2014-15

III. DISTRICT ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

S. No.	Particulars	Estimated Amount Rs.
01	• Renovation and upgradation museums say, Purchase of Equipment for Museum Maintenance, Preservation of Antiquities, Display work, Security equipments, Storage in Chhattisgarh States.	
	1. District Archaeological Museum, Bilaspur,district- Bilaspur	40,00,000/-
	2. Excavated Site Archaeological Museum, Maheshpur, distict - sarguja	40,00,000/-
	3. Samat sarana Archaeological Museum, Dipadih, District - Balarampur	40,00,000/-
	4. Archaeological Museum, Jagadalpur, District - Baster	50,00,000/-
Total		1,70,00,000/-

Proposal for XIII[th] Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2014-15

IV. SURVEY & EXPLORATION

S. No.	Particulars	Estimated Amount Rs.
01	• River Valley Survey (Origin to confluence in Chhattisgarh) • Special Area, Thematic Survey. • Village to village survey of Chhattisgarh (Balod, Durg, rajnadgaon, Bemetara, Mugeli, Janjgir-champam etc.)	20,00,000/-
	Total	**20,00,000/-**

Proposal for XIII[th] Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2014-15

V. WORKSHOP/SEMINAR ON CONSERVATION AND PRESERVATION OF HERITAGE.

S. No.	Particulars	Estimated Amount Rs.
01	1) International Seminar / Workshop on Archaeology & Heritage. 2) National and State Level Seminar / Workshop on Archaeology & Heritage. 3) Presentation and Shows Based on the Heritage of Chhattisgarh.	90,00,000/-
Total		90,00,000/-

PROPOSAL FOR XIII[TH] FINANCE COMMISSION
SCHEME FOR PRESERVATION OF HERITAGE
YEAR 2014-15

VI. TRAINING FOR HERITAGE

S. No.	Particulars	Estimated Amount Rs.
01	• Training of Tourist Guides. • Training of Practical aspects of Museum methods. • Field Training of ancient sites for students / amateurs.	30,00,000/-
Total		**30,00,000/-**

PROPOSAL FOR XIIITH FINANCE COMMISSION
SCHEME FOR PRESERVATION OF HERITAGE
YEAR 2014-15

VII. EQUIPMENT

S. No.	Particulars	Estimated Amount Rs.
01	• Equipments for Conservation, Preservation, Photography Laboratory i.e. - Furniture, Scientific Equipments, Computer, Scanner, Photocopy Machine etc. • Vehicle hire/fuel charges etc.	20,00,000/-
Total		**20,00,000/-**

PROPOSAL FOR XIII[TH] FINANCE COMMISSION
SCHEME FOR PRESERVATION OF HERITAGE
YEAR 2014-15

VIII. HONORARIUM

S. No.	Particulars	Estimated Amount Rs.
01	For Different Subjects and Technical Expert's Honorarium	10,00,000/-
	Total	10,00,000/-

PROPOSAL FOR XIIITH FINANCE COMMISSION
SCHEME FOR PRESERVATION OF HERITAGE
YEAR 2014-15

IX. DOCUMENTATION, PUBLICATION & EXHIBITION

S. No.	Particulars	Estimated Amount Rs.
01	Publication & Documentation of Heritage Brochure, Guide Books of Monuments & Museums, Previous Excavation and Survey Reports etc. and Exhibition Based on Heritage.	60,00,000/-
Total		60,00,000/-

परिशिष्ट-12

Proposal for incorporation of Special Grant (13th Finance Commission)in Annual Plan 2014-15

I. Introduction

Children are the most precious assets of a state or country. In human life cycle age below six is very crucial. These are the formative years where foundation for future development is laid oown. Government is committed towards development of children and this is reflected through ICDS programme. ICDS programme provides services through an integrated approach .Services are provided at a center called Anganwadi.The Anganwadi, literally a child care center is located within the village itself. A package of following six services is provided under the scheme.

1. Supplementry Nutrition
2. Non-formal Pre-school education
3. Immunization
4. Health Check Up
5. Referral services
6. Nutrition and Health Education

Thus Anganwadi center is an important place which works as nuclear body for child development. It is very important to run Anganwadi smoothly as it caters to underprivileged population. We cannot expect desired results without delivering quality services. Quality of services depends upon various factors; availability of proper infrastructure is one among those. Better delivery of services could be ensured only when there is a proper place to run AWCs. Looking at the importance of Anganwadi centers state government is emphasizing to provide 100% AWCs with building facility.

II. Present Status of AWC Building construction in Chhattisgarh

At present there are 43763 sanctioned AWCs across the state. Out of these 43763 AWCs 35674 have sanctioned buildings, 25036 are completed and construction of remaining is under progress.

III. Special Grant for AWC Building under 13th Finance commission

Budget of 150 crores has been allocated for the construction of 3333 AWC buildings in next four years that is from 2011-12 to 2014-15 under 13th finance commission.

VI. Proposal for construction of AWC building under 13th Finance Commission in Annual Plan 2014-15: Proposal for construction of 833 AWC building under 13th Finance Commission in annual plan 2014-15 is enclosed as per annexure- I.

VII. Proposed Drawing/Plan/Estimate for AWC Building: Proposed drawing/plan and estimate is enclosed in annexure - II. Estimated Cost of AWC building is Rs 4.50 lakh . Cost of AWC building will be subject to the actual cost given by the technical agency for construction of AWC building as per approved map/lay-out in that particular financial year.

Director
Women & Child Development
Raipur(Chhattisgarh)

परिशिष्ट–3

जिलावार प्रस्तावित आंगनबाड़ी भवनों की संख्या एवं राशि

क्रमांक	जिला का नाम	कुल स्वीकृत आं.बा. केन्द्रों की संख्या	कुल स्वीकृत आं. बा. भवनों की संख्या	कुल पूर्ण आं.बा. भवनों की संख्या	भवन विहीन आं.बा. केन्द्रों की संख्या	वर्ष 2014–15 में 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत प्रास्तावित आं. बा. भवनों की संख्या	राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	1849	1395	940	454	47	211.5
2	कांण्डागांव	1445	1139	775	306	32	144
3	बीजापुर	1108	750	348	358	37	166.5
4	बिलासपुर	2667	2090	1294	577	59	265.5
5	मुंगेली	1014	730	420	284	29	130.5
6	दंतेवाड़ा	993	1015	519	0	0	0
7	सुकमा	915	617	421	298	31	139.5
8	धमतरी	1007	1006	923	1	0	0
9	दुर्ग	1461	937	797	524	54	243
10	बालोद	1409	1064	881	345	35	157.5
11	बेमेतरा	1029	805	555	224	23	103.5
12	जांजगीर	1979	1854	1106	125	13	58.5
13	जशपुर	2946	2557	1933	389	40	180
14	कांकेर	1870	1674	1320	196	20	90
15	कवर्धा	1578	1425	1178	153	16	72
16	कोरबा	2265	2097	1717	168	17	76.5
17	कोरिया	1357	1210	924	147	15	67.5
18	महासमुंद	1530	1530	1229	0	0	0
19	नारायणपुर	372	265	176	107	11	49.5
20	रायगढ़	2680	2104	1747	576	59	265.5
21	रायपुर	1828	1247	937	581	60	270
22	बलौदाबाजार	1677	1341	879	336	35	157.5
23	गरियाबंद	1167	984	542	183	19	85.5
24	राजनांदगांव	2463	2052	1574	411	42	189
25	सरगुजा	1747	1294	631	453	47	211.5
26	बलरामपुर	1647	1258	676	389	40	180
27	सूरजपुर	1760	1250	594	510	52	234
योग		**43763**	**35690**	**25036**	**8095**	833	3748.5

परिशिष्ट-13

चतुर्थ चरण वर्ष 2014–15 में प्रस्तावित कार्यः–

1.	लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासीय क्वार्टर हेतु बी–टाईप 02 ब्लाक–01 यूनिट	–	रूपये 1,00,00,000
2.	वृक्षारोपण रखरखाव	–	रूपये 50,00,000
3.	सेंटेलाईट बिल्डिंग कार्य	–	रूपये 1,00,00,000
4.	मुख्य भवन एवं छात्रावास के चारों ओर वाकिंग ट्रैक, खेल मैदान का निर्माण	–	रूपये 1,86,65,000
5.	बाह्य एवं आंतरिक विद्यतु व्यवस्था	–	रूपये 1,63,35,000
6.	25 कमरों वाला महिला छात्रावास निर्माण	–	रूपये 1,00,00,000
	कूल योग	–	रूपये 7,00,00,000

वर्ष 2012–13 के कार्य योजना में आंशिक संशोधनः–

द्वितीय चरण वर्ष 2012–13 में मुख्य भवन एवं आवासीय भवन के मध्य बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य की राशि रूपये 1,13,20,000/– में से 80 लाख से पेयजल आपूर्ति हेतु पाईप लाईन जोंडने का कार्य किया जाना है।